भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

राजस्थान सरकार

http://cagindia.org/states/rajasthan/2001

विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
विंहगावलोकन		ix

अध्याय-1
सामान्य

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अन्तर	1.2	4
संग्रहण की लागत	1.3	5
राजस्व की बकाया	1.4	6
कर निर्धारणों में बकाया	1.5	8
कर एवं कर-इतर प्राप्तियों की जालसाजी एवं अपवंचन	1.6	9
प्रतिदाय	1.7	10
आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा	1.8	10
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	12
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ	1.10	12
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियां) की जन लेखा समिति द्वारा की गई चर्चा की स्थिति	1.11	13
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.12	14

अध्याय-2
बिक्री कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	15
बिक्री कर की हानि	2.2	16

	अनुच्छेद	पृष्ठ
शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना	2.3	17
केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत गलत छूट प्रदान करना	2.4	17
लघु/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को अधिक छूट प्रदान करना	2.5	18
सीमेंट प्लाण्ट को कर की अधिक छूट प्रदान करना	2.6	19
छूट सीमा के विरूद्ध कम समायोजन के कारण कम वसूली	2.7	21
कर से गलत छूट प्रदान करना	2.8	22
क्रय कर आरोपित नहीं करना	2.9	23
कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	2.10	23
गणना की त्रुटि के कारण कर का अवनिर्धारण	2.11	25
ब्याज का अनारोपण	2.12	25
कर का अनारोपण	2.13	26

अध्याय-3
मोटर वाहनों पर कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	27
मंजिली वाहनों के विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.2	27
संविदा वाहनों के विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.3	28
निजी सेवा वाहनों के विशेष पथ कर की अवसूली	3.4	29
एक्सकेवेटरों/डम्परों/भार वाहनों के कर की अवसूली/कम वसूली	3.5	29
मांगो का गलत रद्द किया जाना	3.6	30
गैर-अस्थाई अनुमतिपत्रों के बिना रखे गये यात्री वाहनों से मोटर वाहन कर की अवसूली	3.7	32
एक बारीय कर की अवसूली	3.8	32
व्यापारियों से कर एवं शुल्क की अवसूली	3.9	33

	अनुच्छेद	पृष्ठ

अध्याय-4
भू-राजस्व

लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	35
पूंजीगत मूल्य का अनिर्धारण और अवसूली	4.2	36
विकास प्रभारों की अवसूली/कम वसूली	4.3	36
आरक्षित मूल्य की कम वसूली	4.4	37
प्रीमियम और पट्टे किराये की कम वसूली	4.5	38

अध्याय-5
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	39
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि	5.2	40
विक्रय विलेखों का पंजीयन नहीं होने से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि	5.3	41
पट्टा विलेखों का निष्पादन नहीं करना	5.4	41
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.5	42
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली/ कम वसूली	5.6	45

अध्याय-6
राज्य उत्पाद शुल्क

लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	47
चिरे हुए डोडा पोस्त के उत्पादन एवं निस्तारण पर शिथिल नियंत्रण	6.2	48
अनुज्ञापत्र शुल्क एवं बोतल भराई शुल्क की अवसूली/कम वसूली	6.3	50

	अनुच्छेद	पृष्ठ
निविदापत्र को स्वीकार करने की स्वीकृति में विलम्ब के कारण एकाकी विशेषाधिकार राशि की हानि	6.4	51
अनुज्ञाधारियों को अनुचित वित्तीय सहायता	6.5	51
अनुमतिपत्र के शुल्क की अवसूली	6.6	52
अभिवहन में आसव के अधिक क्षय पर उत्पाद शुल्क की अवसूली	6.7	53
ब्याज की अवसूली	6.8	54

अध्याय-7
अन्य कर प्राप्तियां

भूमि एवं भवन कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	57
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण कर का कम आरोपण	7.2	57

अध्याय-8
कर-इतर प्राप्तियां

लेखापरीक्षा के परिणाम	8.1	61

अ: वन विभाग

वन प्राप्तियों पर समीक्षा	8.2	62

ब: खनन विभाग

शर्तों के उल्लंघन पर शास्ति का अनारोपण	8.3	68
अधिशुल्क एवं स्थिर भाटक की मांग कायमी न किया/कम किया जाना	8.4	69
विकास शुल्क की कम वसूली	8.5	69

	अनुच्छेद	पृष्ठ
किश्तों एवं प्रतिभूति की अवसूली/ कम वसूली	8.6	70
खदान अनुज्ञापत्रों के पंजीयन नहीं होने के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि	8.7	72
अधिक समायोजन	8.8	72
स: सिंचाई विभाग		
जल प्रभार का कम आरोपण	8.9	74
परिशिष्ट		
परिशिष्ट 'अ'		77
परिशिष्ट 'ब'		78

प्रस्तावना

31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (दायित्व, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है । यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता हैं, जिसमें राज्य की बिक्री कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क तथा अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2000-2001 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के अनुक्रम में ध्यान में आए तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित 44 अनुच्छेद एवं एक समीक्षा है जिनमें 421.94 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है। प्रमुख निष्कर्षो में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:

1. सामान्य

वर्ष 1999-2000 में 9789.61 करोड़ रुपये के विरूद्ध वर्ष 2000-2001 की राज्य सरकार की प्राप्तियाँ 12401.78 करोड़ रुपये थीं । सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व 6987.94 करोड़ रुपये था (कर राजस्वः 5299.96 करोड़ रुपये एवं कर-इतर राजस्वः 1687.98 करोड़ रुपये) जबकि शेष (5413.84 करोड़ रुपये) वर्ष 2000-2001 के दौरान संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग (2836.61 करोड़ रुपये) तथा सहायतार्थ अनुदान (2577.23 करोड़ रुपये) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुआ, जो वर्ष 1999-2000 के दौरान क्रमशः 2184.84 करोड़ रुपये तथा 1500.10 करोड़ रुपये था। संघ के विभाज्य करों के अन्तर्गत 651.77 करोड़ रुपये की वृद्धि संघ के विभाज्य कर एवं शुल्क की निवल प्राप्तियों के उच्चतर अंश के कारण थी। सहायतार्थ अनुदान के अन्तर्गत 1077.13 करोड़ रुपये की वृद्धि, राजस्व लेखे में घाटे की पूर्ति हेतु प्राप्त 811.97 करोड़ रुपये तथा ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित राष्ट्रीय आपदा अकस्मिक निधि के संस्थापन हेतु प्राप्त 85 करोड़ रुपये के कारण थी। कर राजस्व का मुख्य भाग बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (2821.21 करोड़ रुपये) एवं राज्य उत्पाद शुल्क (1118.48 करोड़ रुपये) से प्राप्त हुआ, जबकि कर-इतर राजस्व में प्रमुख योगदान अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों (370.13 करोड़ रुपये) तथा ब्याज प्राप्तियां (589.55 करोड़ रुपये) का रहा ।

(अनुच्छेद 1.1)

2000-2001 के अन्त में राजस्व के मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत कुल 1332.62 करोड़ रुपये की बकाया अवसूल रही। ये बकाया प्रमुख रूप से बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों, भू-राजस्व एवं कृषि भूमि से अन्य अचल सम्पत्तियों पर कर तथा ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजनाओं से जलापूर्ति एवं सफाई प्राप्तियों से सम्बन्धित थे ।

(अनुच्छेद 1.4)

मार्च 2001 के अन्त में 2,48,062 निर्धारण अंतिम रूप दिये जाने हेतु लम्बित थे जिसमें से 1,89,659 केवल बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर से सम्बन्धित थे ।

(अनुच्छेद 1.5)

वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन, आबकारी विभाग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की 2000-2001 के दौरान की गई मापक जांच से 33,433 मामलों में 845.54 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण का पता चला। सम्बन्धित विभागों ने 6,242 मामलों में 73.20 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये, जिनमें से 19.90 करोड़ रुपये वर्ष 2000-2001 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे। इसके अतिरिक्त विभागों ने वर्ष 2000-2001 के दौरान 1227 मामलों में 18.16 करोड़ रुपये वसूल किये।

(अनुच्छेद 1.9)

30 जून 2001 को, दिसम्बर 2000 तक जारी किये गये 2975 निरीक्षण प्रतिवेदनों, जिनमें 647.92 करोड़ रुपये की 7895 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निहित थी, सम्बन्धित विभागों की टिप्पणियों/अन्तिम कार्यवाही के अभाव में बकाया थे।

(अनुच्छेद 1.10)

2. बिक्री कर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग एवं बिक्री कर विभाग के मध्य प्रति-सत्यापन की उपयुक्त पद्धति के अभाव में, वस्तुओं के अवमूल्यांकन एवं उत्पाद शुल्क के अपवंचन के कारण बिक्री कर राजस्व के 15.72 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 14.91 करोड़ रुपये के ब्याज तथा 31.44 करोड़ रुपये की शास्ति की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.2)

7 कार्यालयों में 32 औद्योगिक इकाइयों द्वारा शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेने के परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के 16.23 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.3)

जूतों के विक्रय पर गलत छूट प्रदान करने के परिणामस्वरूप 15 मामलों में कर एव ब्याज के 5.60 करोड़ रुपये के कर एवं ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

8 लघु/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को 1.21 करोड़ रुपये के कर की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

(अनुच्छेद 2.5)

5 मामलों में सीमेंट के विक्रय पर 53.18 लाख रुपये के कर की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

(अनुच्छेद 2.6)

3 मामलों में छूट सीमा के विरूद्ध कम समायोजन के कारण 64.55 लाख रुपये के कर की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 2.7)

5 मामलों में वनस्पति तेल पर कुल 2.86 करोड़ रुपये का क्रय कर एवं ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 2.9)

3 मामलों में कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप 91.04 लाख रुपये के कर एवं ब्याज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.10)

3. मोटर वाहनों पर कर

185 मंजिली वाहनों से विशेष पथ कर की राशि के 74.75 लाख रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.2)

85 संविदा वाहनों से विशेष पथ कर की राशि के 1.03 करोड़ रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

111 एक्सकेवेटरों/डम्परों/भार वाहनों से मोटर वाहन कर की राशि के 61.07 लाख रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.5)

अन्य राज्यों के 11 पर्यटक वाहनों के संबंध में मांगो के गलत रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप 46.56 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.6)

4. भू-राजस्व

भूमि के पूंजीगत मूल्य के रूप में 62.21 लाख रुपये की वसूली किये बिना 75,425 बीघा माप की भूमि, आबादी के विकास हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दी गई।

(अनुच्छेद 4.2)

3 मामलों में खातेदारी भूमि के आवंटन पर 33.46 लाख रुपये के विकास प्रभार की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.3)

5. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

213 मामलों में विक्रय/पट्टा विलेखों को पंजीयन हेतु संबंधित पंजीयन अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करने से 199.88 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.2)

101 मामलों में रीको/आर एफ सी द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी सहित भूमि, भवन के विक्रय/हस्तान्तरण से संबंधित विक्रय विलेखों के दस्तावेजों का पंजीयन नहीं कराने से 1.62 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि हुई।

(अनुच्छेद 5.3)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड द्वारा पट्टा विलेखों का निष्पादन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप कुल 1.72 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 5.4)

6. राज्य उत्पाद शुल्क

आबकारी विभाग के अभिलेखों में लगभग आधे काश्त क्षेत्र के ऊपर अफीम पोस्त के उत्पादन को नहीं दर्शाया गया था। इस तथ्य के होते हुए कि केन्द्रीय

नारकोटिक्स ब्यूरो अफीम के उत्पादन के मानको (कि.ग्रा./हेक्टेयर में) को उत्तरोत्तर संशोधित करता रहा था, आबकारी विभाग ने चिरे हुए डोडा पोस्त के लिये बहुत पहिले 1977 में निर्धारित 500 किलो प्रति हेक्टेयर के उत्पादन मानक में कोई संशोधन नहीं किया। इसके अतिरिक्त चिरे हुए डोडा पोस्त के उत्पादन को लेखांकित करने में असफलता के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरूप 92.93 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.2)

अनुज्ञापत्र शुल्क एवं बोतल भरीई शुल्क की राशि के 1.69 करोड़ रुपयों की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.3)

निविदाओं को स्वीकार करने की स्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरूप एकाकी विशेषाधिकार राशि के 96.27 लाख रुपयों की हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.4)

धरोहर राशि की कम वसूली के परिणामस्वरूप अनुज्ञाधारी को 15.41 करोड़ रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता हुई।

(अनुच्छेद 6.5)

8. कर-इतर प्राप्तियाँ

अ: वन विभाग

'वन प्राप्तियों' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुए:

- उमरकोट (बांसी-धारियावद) पातन श्रेणी से बांसों के असमुपयोजन के कारण 3.03 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 8.2.7.1)

- भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति वनारोपण एवं शास्तिक क्षतिपूर्ति वनारोपण की लागत की मांग कायम नहीं करने/ अवसूली के कारण 2.81 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 8.2.7.4)

ब: खनन विभाग

शर्तों के उल्लंघन के कारण शास्ति के 2 करोड़ रुपयों का अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 8.3)

अधिशुल्क एवं स्थिर भाटक की 1.06 करोड़ रुपयों की राशि की मांग कायम नहीं की गई/कम की गई।

(अनुच्छेद 8.4)

अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

(i) राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग और सहायतार्थ अनुदान और गत दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपयों में)

		1998-99	1999-2000	2000-2001
I.	राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व			
	(क) कर राजस्व	3939.34	4530.90	5299.96
	(ख) कर-इतर राजस्व	1353.39	1573.77	1687.98
	योग	**5292.73**	**6104.67**	**6987.94**
II.	भारत सरकार से प्राप्तियां			
	(क) विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग	1964.28	2184.84	2836.61
	(ख) सहायतार्थ अनुदान	1322.27	1500.10	2577.23
	योग	**3286.55**	**3684.94**	**5413.84**
III.	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां (I और II)	8579.28	9789.61	12401.78*
	III से **I** का प्रतिशत	**62**	**62**	**56**

वर्ष 2000-01 के दौरान विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य के भाग में 651.77 करोड़ रुपयों की वृद्धि विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में उच्चतर अंश के कारण रही। भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान में 1077.13 करोड़ रुपयों की वृद्धि, राजस्व लेखे में घाटे की पूर्ति हेतु 811.97 करोड़ रुपये एवं ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के संस्थापन हेतु 85 करोड़ रुपये की राशि की प्राप्ति के कारण रही।

---

* ब्यौरे के लिए, कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2000-01 के वित्त लेखे की 'विवरणी संख्या-11 लघु शीर्षवार राजस्व का ब्यौरेवार लेखा' देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व' के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020 निगम कर, '0021 आय पर निगम कर से भिन्न कर, 0028 आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032 सम्पदा पर कर, 0037 सीमा शुल्क, 0038 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 0044 सेवा कर एवं 0045 वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क -शुद्ध प्राप्तियों में से राज्यों को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपरोक्त विवरण में राज्य द्वारा वसूल किये गए राजस्व में से घटाया गया है एवं विभाजित होने वाले संघीय करों में 'राज्य का भाग' जोड़ा गया है ।

(ii) राज्य द्वारा वसूल किया गया कर राजस्व

वर्ष 2000-2001 के दौरान वसूल किये गए कर राजस्व का विवरण गत दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001	2000-2001 में 1999-2000 पर प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2058.67	2424.52	2821.21	(+) 16
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	990.03	960.81	1118.48	(+) 16
3.	वाहनों पर कर	364.36	455.48	511.30	(+) 12
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	344.36	376.77	436.73	(+) 16
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	91.87	193.67	251.90	(+) 30
6	भू-राजस्व	33.27	35.09	44.81	(+) 28
7.	अन्य कर	56.78	84.56	115.53	(+) 37
	योग	**3939.34**	**4530.90**	**5299.96**	**(+) 17**

वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राप्तियों में अन्तर के कारण, जो सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किये गए हैं, नीचे दिये जा रहे हैं:

बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर: वृद्धि (16 प्रतिशत) माल के मूल्य एवं व्यापारावर्त में वृद्धि के कारण थी।

राज्य उत्पाद शुल्क: वृद्धि (16 प्रतिशत) ठेकेदारों द्वारा जमा धरोहर राशि से एकाकी विशेषाधिकार राशि/अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली किये जाने के कारण थी, जबकि वर्ष 1999-2000 की अनुज्ञापत्र अवधि के मध्य में ऐसा करने की अनुमति नही थी।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: अन्तर के कारण यद्यपि विभाग से चाहे गये थे, प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 2001)

भू-राजस्व: वृद्धि (28 प्रतिशत) बीसलपुर परियोजना की भूमि की बिक्री के कारण थी।

(iii) राज्य के कर-इतर राजस्व

वर्ष 2000-2001 के दौरान वसूल किया गया कर-इतर राजस्व का विवरण राजस्व के मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत गत दो वर्षों के आंकड़ों सहित नीचे दिया जा रहा है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001	2000-2001 में 1999-2000 पर प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
1.	ब्याज प्राप्तियां	628.79	670.42	589.55	(-) 12
2.	अलोह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	304.25	349.53	370.13	(+) 6
3.	विविध सामान्य सेवाएं	64.50	138.78	241.92	(+) 74
4.	जलापूर्ती एवं सफाई	121.61	125.72	138.89	(+) 10
5.	अन्य	234.24	289.32	347.49	(+) 20
	योग	**1353.39**	**1573.77**	**1687.98**	(+) 7

विविध सामान्य सेवाओं के प्रत्येक मदों का विश्लेषण यह बतलाता है कि वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-2001 में राजस्व की वृद्धि (74 प्रतिशत) न मांगी गई जमाओं में एवं अन्य प्राप्तियों में वृद्धि के कारण रही।

'अन्य' के प्रत्येक मदो का विश्लेषण यह बतलाता है कि वर्ष 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-01 में राजस्व में वृद्धि (20 प्रतिशत) 0055 पुलिस, 0202 शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति, 0406 वानिकी एवं वन्य जीवन, 0702 लघु सिंचाई इत्यादि शीर्षो में वृद्धि के कारण रही।

ब्याज प्राप्तियाँ: कमी (12 प्रतिशत) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के विघटन होने एवं 19 जुलाई 2000 से निगम में परिवर्तित होने से ब्याज की कम प्राप्ति के कारण थी।

जलापूर्ति एवं सफाई: वृद्धि (10 प्रतिशत) बकाया की वसूली एवं अनुपयोगी सामग्री की नीलामी के कारण थी।

1.2 बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अन्तर

वर्ष 2000-2001 के लिए राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के अन्तर नीचे दिये गए हैं :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	बजट अनुमानों के सन्दर्भ में अन्तर का प्रतिशत
कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2920.00	2821.21	(-) 98.79	(-) 3
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1075.00	1118.48	(+) 43.48	(+) 4
3.	वाहनों पर कर	500.00	511.30	(+) 11.30	(+) 2
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	450.00	436.73	(-) 13.27	(-) 3
5.	भू-राजस्व	39.06	44.81	(+) 5.75	(+) 15
6.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	26.00	32.11	(+) 6.11	(+) 24
	योग	**5010.06**	**4964.64**	**(-) 45.42**	**(-) 1**
कर-इतर राजस्व					
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	390.00	370.13	(-) 19.87	(-) 5
2.	ब्याज प्राप्तियां	641.75	589.55	(-) 52.20	(-) 8
3.	विविध सामान्य सेवाएं	237.70	241.92	(+) 4.22	(+) 2
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	29.78	37.02	(+) 7.24	(+) 24
	योग	**1299.23**	**1238.62**	**(-) 60.61**	**(-) 5**

भू-राजस्व: वृद्धि (15 प्रतिशत) बीसलपुर परियोजना की भूमि की बिक्री के कारण थी।

कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर: वृद्धि (24 प्रतिशत) विशेष एमनेस्टी योजना एवं स्वयं कर निर्धारण योजना लागू किये जाने के कारण थी।

वानिकी एवं वन्य जीवन: वृद्धि (24 प्रतिशत) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में साधारण/इमारती लकड़ी की बिक्री के कारण थी।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय और सकल संग्रहण के लिए किये गए ऐसे व्यय का प्रतिशत, मय वर्ष 1999-2000 के लिए संबंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशत नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 1999-2000 के लिये अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	1998-1999	2058.67	31.27	1.5	1.56
		1999-2000	2424.52	28.61	1.2	
		2000-2001	2821.21	30.28	1.0	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1998-1999	904.74	17.91	1.9	3.31
		1999-2000	832.51	17.57	2.1	
		2000-2001	1008.92	17.90	1.8	
3.	वाहनों पर कर	1998-1999	364.36	7.49	2.0	3.56
		1999-2000	455.48	7.55	1.7	
		2000-2001	511.30	8.98	1.8	
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1998-1999	344.36	10.03	2.9	4.42
		1999-2000	376.77	7.90	2.1	
		2000-2001	436.73	9.30	2.1	

1.4 राजस्व की बकाया

31 मार्च 2001 को राजस्व के प्रमुख शीर्षो के अधीन राजस्व की बकाया जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, निम्नानुसार थी:

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया	पांच वर्षों से अधिक बकाया	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
		(करोड़ रुपयों में)		
1.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	719.35	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई	719.35 करोड़ रुपयों में से 220.56 करोड़ रुपये की मांगें सरकार एवं न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई थी। 0.79 करोड़ रुपयों की मांगे अपलिखित होने की सम्भावना थी। 498.00 करोड़ रुपये की मांगे वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
2.	ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजनाओं से जलापूर्ति एवं सफाई प्राप्तियाँ	87.98	2.90	87.98 करोड़ रुपयों में से 0.30 करोड़ रुपये की मांगे न्यायिक प्राधिकारियों के द्वारा एवं 0.05 करोड़ रुपये सरकार द्वारा रोक दी गई। 1.60 करोड़ रुपयों की मांग अपलिखित होने की संभावना थी। 0.04 करोड़ रुपये वसूली प्रमाणपत्रों से आवृत थे एवं 85.99 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थे।
3.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	51.52	5.21	51.52 करोड़ रुपयों में से 4.73 करोड़ रुपयों की मांगें वसूली प्रमाण पत्रों से आवृत थी। 20.59 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा तथा 0.76 करोड़ रुपयों की मांगे सरकार द्वारा रोक दी गई। 25.44 करोड़ रुपये की मांगे वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
4.	राज्य उत्पाद शुल्क	275.30	34.37	275.30 करोड़ रुपयों में से 46.62 करोड़ रुपये की मांगे उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई थी। 5.02 करोड़ रुपये के अपलिखित होने की सम्भावना थी एवं 223.66 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थे।

1.	2.	3.	4.	5.
5.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	41.78	6.79	41.78 करोड़ रुपयों में से 21.72 करोड़ रुपये की मांगें वसूली प्रमाणपत्रों से आवृत थी एवं 12.79 करोड़ रुपयों की मांगे उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई थी। 0.33 करोड़ रुपये सरकार द्वारा रोक दिए गए थे, 0.16 करोड़ रुपये के अपलिखित होने की सम्भावना थी, एवं 6.78 करोड़ रुपये की वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।
6.	भू-राजस्व	38.61	12.84	38.61 करोड़ रुपयों में से 5.81 करोड़ रुपये की मांगे सरकार द्वारा रोक दी गई थी एवं 4.15 करोड़ रुपये की उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई थी। 0.04 करोड़ रुपये की मांग अपलिखित होने की सम्भावना थी एवं 28.61 करोड़ रुपये की वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।
7.	भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री	65.79	1.49	65.79 करोड़ रुपये में से 0.04 करोड़ रुपयें की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई थी। शेष राशि की वसूली की स्थिति विभाग द्वारा प्रेषित नहीं की गई।
8.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	22.15	1.74	22.15 करोड़ रुपयों में से 11.18 करोड़ रुपये की मांगे वसूली प्रमाण-पत्रों से आवृत थी। 3.31 करोड़ रुपये की मांगे उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गई एवं 0.37 करोड़ रुपये की मांगे सरकार द्वारा रोक दी गई थी। 1.52 करोड़ रुपयों की मांग आवेदन पत्रों के संशोधन/समीक्षा हेतु रोकी गई। 0.48 करोड़ रुपयों की मांगे अपलिखित होने की संभावना थी एवं 5.29 करोड़ रुपये की वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।
9.	वाहनों पर कर	16.52	6.73	16.52 करोड़ रुपयों में से 1.29 करोड़ रुपयों की मांगे न्यायालय/सरकार द्वारा रोक दी गई और 15.23 करोड़ रुपये की वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।

1.	2.	3.	4.	5.
10.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई*	13.62	6.31	13.62 करोड़ रुपयों में से 7.44 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक दी गई थी। 0.50 करोड़ रुपयों की मांग अपलिखित होने की संभावना थी और 5.68 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
	योग	1332.62	78.38	

1.5 कर निर्धारणों में बकाया

विभिन्न करों से सम्बन्धित वर्ष के आरंभ में अंतिम रूप देने के लिए लम्बित कर निर्धारणों के मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य मामले, निपटाये गये मामले और अन्तिम रूप देने के लिये वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के अन्त में लम्बित मामलों का विवरण जैसा कि सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रेषित किया गया है, नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य मामले	कुल	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	कालम 8 का 6 पर प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	1998-99 1999-2000 2000-2001	1,85,882 1,91,858 2,36,669	1,96,255 1,69,695 1,66,588	3,82,137 3,61,553 4,03,257	1,90,279 1,24,884 2,13,598	1,91,858 2,36,669 1,89,659	50 65 47
2.	मनोरंजन कर	1998-99 1999-2000 2000-2001	1,359 1,123 1,124	1,359 1,276 794	2,718 2,399 1,918	1,595 1,275 1,303	1,123 1,124 615	41 47 32
3.	यात्रियों एवं माल पर कर	1998-99 1999-2000 2000-2001	90 90 90	शून्य शून्य शून्य	90 90 90	शून्य शून्य शून्य	90 90 90	100 100 100
4.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	1998-99 1999-2000 2000-2001	40,681 41,053 40,713	6,410 7,193 10,736	47,091 48,246 51,449	6,038 7,533 16,724	41,053 40,713 34,725	87 84 67
5.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1998-99 1999-2000 2000-2001	6,420 6,811 6,093	2,738 1,237 4,637	9,158 8,048 10,730	2,347 1,955 4,368	6,811 6,093 6,362	74 76 59

* यह सूचना मुख्य अभियन्ता, सिचाई, जयपुर; मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर; मुख्य अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास, इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर एवं मुख्य अभियन्ता, माही परियोजना, बांसवाड़ा से सम्बन्धित हैं।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1998-99 1999-2000 2000-2001	17,490 18,897 17,518	15,525 12,315 11,331	33,015 31,212 28,849	14,118 13,694 12,238	18,897 17,518 16,611	57 56 58
	योग	**1998-99** **1999-2000** **2000-2001**	**2,51,922** **2,59,832** **3,02,207**	**2,22,287** **1,91,716** **1,94,086**	**4,74,209** **4,51,548** **4,96,293**	**2,14,377** **1,49,341** **2,48,231**	**2,59,832** **3,02,207** **2,48,062**	**55** **67** **50**

अन्तिम निर्णय हेतु लम्बित 2,48,062 निर्धारणों में से 1,89,659 मामले केवल बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर से सम्बन्धित थे। इससे विदित होता है कि वर्ष 2000-2001 के अन्त तक निर्धारण योग्य मामलों में से वर्ष के दौरान केवल 50 प्रतिशत मामले विभाग द्वारा निपटाये गये। लम्बित निर्धारणों की अधिकतम प्रतिशतता "यात्रियों एवं माल पर कर" एवं "कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर" के सम्बन्ध में थी जो क्रमशः 100 एवं 67 प्रतिशत रही। अन्तिम निर्णय हेतु निर्धारणों के बहुत ज्यादा इकट्ठे होने के परिणामस्वरूप राजस्व की वसूली में विलम्ब हुआ। "यात्रियों एवं माल पर कर" से सम्बद्ध लम्बित निर्धारणों के लिए विभाग द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि इनसे सम्बन्धित अधिनियम, 1982 में समाप्त कर दिया था।

1.6 कर एवं कर-इतर प्राप्तियों की जालसाजी और अपवंचन

वर्ष के प्रारंभ में बकाया जालसाजी और करों तथा शुल्कों के अपवंचन के मामले, वर्ष के दौरान पता लगाये गए मामलों की संख्या, ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/अन्वेषण पूरा कर लिया गया था, वर्ष के दौरान कायम अतिरिक्त मांग (शास्ति आदि सहित) तथा मार्च 2001 के अन्त में अन्तिम रूप न दिए गए मामलों की संख्या का विवरण, जैसा संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित किया गया है, नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2000 को बकाया मामले	2000-2001 के दौरान पता लगाये गये मामले	निर्धारण/अन्वेषण पूर्ण किये गये तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग कायम शुदा मामले		31 मार्च 2001 को बकाया मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (लाख रुपयों में)	
1 क. 1 ख.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर मनोरंजन कर	1575	6506	5955	2736.70	2126
2.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	2	7	2	0.07	7
3.	वाहनों पर कर	11	2	2	0.55	11

1.7 प्रतिदाय

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, भूमि एवं भवन कर तथा भूमि एवं सम्पत्ति के विक्रय के सम्बन्ध में वर्ष 2000-01 के दौरान प्राप्त और निपटारे (जिनमें राशि भी शामिल है) और मार्च 2001 के अन्त में अंतिम रूप देने के लिए लम्बित प्रतिदाय दावों की संख्या और गत दो वर्षों के तद्नुरूपी आंकडे नीचे दिये गये हैं:

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रतिदाय के दावे		वर्ष के दौरान प्राप्त दावे		वर्ष के दौरान निर्णित दावे		वर्ष के अन्त में बकाया दावे	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	1998-99	84	112.62	3014	843.54	2839	795.13	259	161.03
		1999-2000	259	161.03	3165	843.14	3247	873.69	177	130.48
		2000-2001	177	130.48	सूचना प्राप्त नहीं हुई					
2.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1998-99	583	21.66	1224	108.33	1216	108.51	593	21.48
		1999-2000	593	21.48	1524	155.98	851	92.19	1266	85.27
		2000-2001	1266	85.27	1253	137.34	1072	127.95	1447	94.66
3.	भू-राजस्व	1998-99	72	3.70	95	9.82	109	9.86	58	3.66
		1999-2000	58	3.66	71	14.81	70	8.30	59	10.17
		2000-2001	59	10.17	65	1.50	95	0.13	29	11.54
4.	भूमि एवं भवन कर	1998-99	8	0.38	15	0.58	17	0.55	6	0.41
		1999-2000	6	0.41	7	0.66	8	0.95	5	0.12
		2000-2001	5	0.12	9	8.89	9	0.60	5	8.41
5.	भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री	1998-99	-	-	2	0.73	2	0.73	-	-
		1999-2000	-	-	8	4.77	7	4.13	1	0.64
		2000-2001	1	0.64	368	78.61	338	72.24	31	7.01

1.8 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा

वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, विद्युत निरीक्षक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उत्पाद शुल्क, खान एवं भू-विज्ञान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भूमि एवं भवन कर, वन और उपनिवेशन विभागों में पृथक आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखाएं हैं।

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान विभिन्न विभागों में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखाओं द्वारा लेखापरीक्षा की जाने योग्य इकाइयों, वास्तव में लेखापरीक्षा की गई

इकाइयों और लेखापरीक्षा बिना रही इकाईयों की संख्या नीचे दी गई तालिका दर्शाती है:

वर्ष	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की संख्या	बिना लेखापरीक्षा रही इकाइयों की संख्या	बिना लेखापरीक्षा रही इकाइयों का प्रतिशत
1998-99	2969	1310	1659	56
1999-2000	2780	1161	1619	58
2000-2001	3562	1203	2359	66

विभाग ने बतलाया कि लेखापरीक्षा की गई इकाइयों में कमी मुख्यत: स्टाफ की कमी एवं प्रशासनिक आधार पर निरीक्षणों के स्थगित होने के कारण थी।

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखाओं द्वारा जारी किये गए निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या, आपत्तियों के निपटारे और आन्तरिक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप कायम मांग निम्न प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

वर्ष	जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	उठाई गई आपत्तियां		आपत्तियों का निपटारा		मांग कायम की/ वसूली की गई	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1998-99	628	10377	2128.96	4716	20.81	4049	653.39
1999-2000	999	11138	6245.47	2001	375.14	2579	451.25
2000-2001	1010	16676	6610.89	4123	154.03	2919	517.43

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान निपटायी गई आपत्तियों की संख्या इन वर्षों में उठायी गई कुल आपत्तियों की संख्या का क्रमश: 45, 18 और 25 प्रतिशत थी ।

आन्तरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II द्वारा उठायी गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निपटारे का कार्य भी राज्य की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को सौंपा गया हैं। महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II द्वारा दिसम्बर 2000 तक जारी टिप्पणियों में से जून 2001 के अन्त तक 7895 टिप्पणियां (निहित धन 647.92 करोड़ रुपये) बकाया थी। सरकार द्वारा समस्त विभागों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निपटारे हेतु समय समय पर निर्देश जारी करने के उपरान्त भी इनमें से 1607 टिप्पणियां (निहित धन 29.11 करोड़ रुपये) पांच वर्षों से अधिक पुरानी थी ।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, भू-राजस्व और अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में 33,433 मामलों में 845.54 करोड़ रुपयों की राशि के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला । सम्बन्धित विभागों द्वारा अवनिर्धारण आदि की निहित राशि 73.20 करोड़ रुपये के 6242 मामले स्वीकार किये गये, जिनमें से निहित राशि 19.90 करोड़ रुपये के 3753 मामले वर्ष 2000-01 की लेखापरीक्षा के दौरान और बाकी पूर्व वर्षों में बताये गये थे। वर्ष 2000-01 के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर 1227 मामलों गें 18.16 करोड़ रुपये की राशि विभागों ने वसूल कर ली ।

इस प्रतिवेदन में, लेखापरीक्षा में आये प्रमुख मामलों की प्रतिनिधि स्वरूप एक समीक्षा सहित 45 अनुच्छेद, जिनमें 421.94 करोड़ रुपये निहित है, सम्मिलित किए गए है। सरकार/विभागों ने अब तक निहित राशि 10.06 करोड़ रुपयों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की हैं। कुल 112.96 करोड़ रुपये निहित राजस्व प्रभाव वाली लेखापरीक्षा टिप्पणियां सरकार/विभागों द्वारा स्वीकार नहीं की गई लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्यों अथवा कानूनी प्रावधानों से भिन्न पाये गये। इन पर सम्बन्धित अनुच्छेदों में उपयुक्त टिप्पणी कर दी गई है। शेष मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.10 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा टिप्पणियां

(i) करों, शुल्कों, फीस आदि का अवनिर्धारण, कम निर्धारण/वसूली और प्रारम्भिक लेखों के रख-रखाव में त्रुटियां जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हुआ, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों को सूचित किये जाते हैं। अधिक महत्व की अनियमितताएं सरकार/विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) II द्वारा सूचित की जाती हैं, जिसके प्रथम उत्तर इनके प्रेषण होने के एक माह में भेजे जाने होते है।

(ii) 31 दिसम्बर 2000 तक जारी किये गये राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा टिप्पणियां जो 30 जून 2001 को विभागों से निपटारे हेतु बाकी थे, गत दो वर्षो के आंकड़ों सहित, नीचे दिए गये हैं:

		30 जून को		
		1999	**2000**	**2001**
1.	निपटारे हेतु बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2934	3140	2975
2.	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	8309	8468	7895
3.	निहित राजस्व राशि (करोड़ रुपयों में)	741.16	427.54	647.92

(iii) 30 जून 2001 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	विभाग	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनके प्रथम बार भी उत्तर प्राप्त नहीं हुए	सर्व प्रथम वर्ष जिससे निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित है
1.	वाणिज्यिक कर	712	2292	191.98	4	1986-87
2.	भू-राजस्व	767	1573	106.80	9	1984-85
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	675	1180	17.78	68	1990-91
4.	परिवहन	321	999	38.39	-	1985-86
5.	वन	158	452	4.42	-	1982-83
6.	खान एवं भू-विज्ञान	140	544	233.28	11	1989-90
7.	अन्य विभाग (आबकारी, भूमि एंव भवन कर एवं विद्युत निरीक्षणालय)	202	855	55.27	3	1991-92
	योग	**2975**	**7895**	**647.92**	**95**	

उपरोक्त स्थिति सरकार के ध्यान में लायी गई (सितम्बर 2001)।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियां) की जन लेखा समिति द्वारा की गई चर्चा की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा 30 जुलाई 2001 को बकाया अनुच्छेदों की स्थिति परिशिष्ट-'अ' में दर्शायी गई है। इससे विदित होता है कि वर्ष के दौरान 237 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर जन लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 तक के कोई भी अनुच्छेद जन लेखा समिति द्वारा चर्चा हेतु शेष नहीं थे। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 से संबंधित एक अनुच्छेद एवं वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 से संबंधित 72 अनुच्छेद शेष थे।

1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियम एवं कार्यविधि के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर जन लेखा समिति की सिफारिशों पर, विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों को प्रषित करने हेतु संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा। विभागों से बकाया क्रियान्विति की स्थिति परिशिष्ट-'ब' में दर्शायी गयी है। इससे विदित होता है कि बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की अवधि एक से नो वर्ष तक रही।

अध्याय-2: बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 1239 मामलों में 128.99 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारणों आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है:

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	कर योग्य व्यापारावर्त पर कर निर्धारण नहीं करना	101	20.33
2.	गलत छूट प्रदान करना	103	6.34
3.	कटौती की गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	25	4.06
4.	कर की गलत दर लगाने के कारण कम आरोपण	213	3.80
5.	क्रय कर आरोपित नहीं करना	41	2.62
6.	शास्ति एवं ब्याज आरोपित नहीं करना	75	0.34
7.	बिक्री कर की हानि	378	62.08
8.	अन्य अनियमितताएं	303	29.42
	योग	**1239**	**128.99**

वर्ष 2000-2001 के दौरान विभाग ने 731 मामले जिनमें 21.31 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, में अवनिर्धारणों आदि को स्वीकार किया, जिसमें से 88 मामले जिनमें 2.08 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, वर्ष 2000-2001 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त विभाग ने वर्ष 2000-2001 में 104 मामलों में 4.18 करोड़ रुपये वसूल किये जिनमें 59.60 लाख रुपयों के 31 मामले वर्ष 2000-2001 से संबंधित थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षो के थे। कुछ निदर्शी मामले जिनमें 90.56 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को उजागर करते है का उल्लेख आगामी अनुच्छेदों में किया गया है।

2.2 बिक्री कर की हानि

न्यायिक रूप से यह माना गया है कि उत्पाद शुल्क की राशि, चाहे व्यवसायी द्वारा प्रभारित मूल्य में सम्मिलित की गई हो या बिल में एक अलग मद के रूप में दर्शायी गई हो विक्रय मूल्य का भाग है। राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी को सच्चा और सही लेखा संधारण करना होता है जो प्राप्त किये गये, निर्मित, बेचे गये या अन्यथा निस्तारित या उसके द्वारा स्टाक में रखे गये माल के मूल्य एवं मात्रा को दर्शाता है। यदि व्यवसायी विवरणियों से कोई विवरण छुपाता है या जानबूझकर गलत विवरण देता है या उसके द्वारा संधारित किये जाने वाली लेखा पुस्तकों या पंजिकाओं में क्रय अथवा विक्रय के किसी व्यवहार को सम्मिलित नहीं करता है, तो वह देय कर के अतिरिक्त ऐसे कर की राशि के दुगने के बराबर राशि शास्ति के रूप में भुगतान करेगा। व्यवसायी पर कर की राशि पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज के भुगतान करने का भी दायित्व है।

राजस्थान में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के वर्ष 1994-95 से 2000-01 के अभिलेखों की दिसम्बर 2000 एवं मई 2001 के मध्य की गई मापक जांच में पता चला कि वस्तुओं के निर्माण में लगे निर्धारितियों ने 378 मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान का अपवंचन, या तो वस्तुओं के गुप्त निष्कासन या अवमूल्यांकन या अन्यथा किया तथा जिसके फलस्वरूप विभाग के न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा, उनके विरूद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 35.50 करोड़ रुपये की मांगों की पुष्टि की गई तथा अब तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 3.50 करोड़ रुपयों की वसूली की जा चुकी है। उपरोक्त में से 299 मामलों में वस्तुओं के अवमूल्यांकन/गुप्त निष्कासन के कारण 115.99 करोड़ रुपये की राशि पर बिक्री कर प्रभारित होने से छूट गया।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग एवं बिक्री कर विभाग के मध्य प्रति-सत्यापन की उपयुक्त पद्धति के अभाव में यह सूचना बिक्री कर विभाग में उपलब्ध नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 151.49 करोड़ रुपयों (वस्तुओं के अवमूल्यांकन एवं उत्पाद शुल्क के अपवंचन के कारण) पर 15.72 करोड़ रुपये के बिक्री कर राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त 14.91 करोड़ रुपये ब्याज तथा 31.44 करोड़ रुपये की शास्ति भी देय है।

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को दिसम्बर 2000 एवं मई 2001 के मध्य सूचित किया गया। तथापि, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

---

* (1979) 43 एस टी सी 13 (पृष्ठ 28) हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य (एस.सी.)।

2.3 शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, के अन्तर्गत सरकार ने 'उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987' अधिसूचित की (23 मई 1987), जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयां योजना में निर्धारित अधिकतम मात्रा एवं अवधि के अधीन उनके कर दायित्व की 100 प्रतिशत छूट की अधिकारी थी। ऐसे मामले में, जहां व्यवसायी छूट का लाभ उठाने के बाद पांच वर्ष के भीतर उत्पादन बन्द कर देता है तो उस पर यह मानते हुए कर दायित्व होगा कि वहां कोई छूट नहीं थी। कर की राशि पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज के भुगतान करने का भी व्यवसायी पर दायित्व है।

सात वाणिज्यिक कर कार्यालयों* में यह देखा गया (मई 1997 एवं फरवरी 2001 के मध्य) कि 32 औद्योगिक इकाइयां जिन्हें सितम्बर 1988 एवं जुलाई 1997 के मध्य प्रात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किये गये थे, ने प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 6.41 करोड़ रुपये की कर छूट का लाभ उठाने के बाद, 1992-93 एवं 1999-2000 के मध्य अपना उत्पादन बन्द कर दिया। इन इकाइयों द्वारा पहले से ही प्राप्त की गई छूट की वसूली हेतु एवं उन पर कर/ब्याज आरोपित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के 16.23 करोड़ रुपयों (कर: 6.41 करोड़ रुपये एवं ब्याज: 9.82 करोड़ रुपये मार्च 2001 तक) की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने (जुलाई 1997 एवं मार्च 2001) पर, कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (अप्रैल 2001) कि कोटा की औद्योगिक इकाई के मामले में, कर आरोपित करने के लिये मामला वाणिज्यिक कर आयुक्त को उसकी स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है। मामले में आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2001)।

चूक को विभाग के ध्यान (जून 1997 एवं मार्च 2001 के मध्य) में लाया गया तथा सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2001)।

2.4 केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत गलत छूट प्रदान करना

राज्य सरकार ने, 100 रुपये तक के मूल्य के सभी प्रकार के जूतों चमड़े के बने जूतों को छोड़कर, के क्रय अथवा विक्रय को कर से मुक्त किया (7 मार्च

*भिवाड़ी, 'सी' जयपुर, विशेष-I जोधपुर, 'बी' कोटा, नागौर, सीकर, 'बी' उदयपुर।

1994)। न्यायिक रूप से यह माना* गया कि जूतों के मूल्य पर आधारित छूट सामान्य छूट नहीं है तथा इन जूतों की अन्तर्राज्यीय बिक्रियाँ अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त नहीं थी।

छः वाणिज्यिक कर कार्यालयों** में यह देखा गया (जुलाई 2000 एव फरवरी 2001 के मध्य) कि वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान 15 व्यवसाइयों ने 29.85 करोड़ रुपये मूल्य के, 100 रुपये तक के मूल्य के जूतों की अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री की तथा उस पर छूट का दावा किया। यद्यपि, बिक्रियाँ सामान्य छूट के अन्तर्गत आच्छादित नहीं थी, संबंधित वर्षों के लिये व्यवसाइयों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (सितम्बर 1998 एवं मार्च 2000 के मध्य) मांगी गई छूट कर निर्धारण अधिकारियों ने गलत रूप से प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के 5.60 करोड़ रुपयों (करः 2.96 करोड़ एवं ब्याजः 2.64 करोड़ रुपये मार्च 2001 तक) का आरोपण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने (सितम्बर 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) पर, विभाग ने बताया (अप्रैल एवं जुलाई 2001 के मध्य) कि जोधपुर के व्यवसायी के संबंध में 2.67 लाख रुपये की मांगं कायम की जा चुकी है जिसमें से 2 लाख रुपये की वसूली समायोजन के द्वारा की जा चुकी है तथा सीकर, भिवाड़ी एवं पाली के व्यवसाइयों के संबंध में मामला महाधिवक्ता को उसकी राय हेतु भेजा गया है। इन मामलों में आगे की प्रगति एवं शेष मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2001)।

मामला सरकार को सूचित (जनवरी एवं मार्च 2001 के मध्य) किया गया ; उनका उत्तर प्राप्त (अगस्त 2001) नहीं हुआ है ।

2.5 लघु/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को अधिक छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 23 मई 1987 को दो अधिसूचनाएं जारी कर, राज्य सरकार ने 'उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987' अधिसूचित की, जिनके अन्तर्गत कुछ विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयों को इसमें विनिर्दिष्ट नियत शर्तों के अधीन कर के

*1. (1992) 11 आर टी जे एस 110 महावीर रबड़ वर्क्स बनाम सी टी ओ (एस टी एस बी)।
2. (1995) 98 एस टी सी 219 सस्ता इण्डस्ट्रीज बनाम अतिरिक्त उपायुक्त (कर्नाटक)।
3. (1995) 99 एस टी सी 293 मनीष प्लास्टिक बनाम सी सी टी (कर्नाटक)।

** भिवाड़ी, 'ए' जयपुर, 'ई' जयपुर, विशेष-II जोधपुर, विशेष वृत्त पाली एवं सीकर।

भुगतान से छूट प्रदान की। इसके अतिरिक्त, विस्तार/विविधिकरण के लिये लघू श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां उनकी पात्र स्थायी पूंजी विनियोजन के 90 प्रतिशत तक की अधिकतम बिक्री कर छूट के लिये पात्र थी। मध्यम श्रेणी के उद्योगों के मामले में नये उद्योगों एवं उनके विस्तार/विविधिकरण के लिये यह सीमा पात्र स्थायी पूंजी विनियोजन, जैसा कि जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो, की क्रमश: 90 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत थी।

दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों* में यह देखा गया (सितम्बर 2000 एवं फरवरी 2001) कि 4 लघु श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां उनके विस्तार हेतु तथा 4 मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां (एक नई इकाई तथा 3 विस्तार के लिये), प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत छूट के लिये जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पात्र मानी गई। तथापि, कर निर्धारण अधिकारी ने, लघु श्रेणी की इकाइयों के विस्तार हेतु एवं नई मध्यम श्रेणी की इकाई के लिये पात्र स्थायी पूंजी विनियोजन के 90 प्रतिशत तथा मध्यम श्रेणी की इकाइयों के विस्तार हेतु पात्र स्थायी पूंजी विनियोजन के 75 प्रतिशत की सही छूट के बजाये पात्र स्थायी पूंजी विनियोजन के 100 प्रतिशत के लिये पात्रता प्रमाणपत्र गलत रूप से जारी कर दिये। इसके परिणामस्वरूप 1.21 करोड़ रुपये की अधिक छूट दी गई।

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को अक्टूबर 2000 एंव मार्च 2001 के मध्य सूचित किया गया। तथापि, उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

2.6 सीमेन्ट प्लान्ट को कर की अधिक छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954, एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनिमय, 1956, के अन्तर्गत सरकार ने 'उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987' अधिसूचित (23 मई 1987) की, जिसके अन्तर्गत इस योजना में निर्धारित रीति, सीमा एवं अवधि के लिये, कर छूट का लाभ केवल स्थायी पूंजी विनियोजन से संबंधित था। स्थायी पूंजी विनियोजन के प्रतिशत के अनुसार, लघु श्रेणी की इकाइयों के लिये अधिकतम छूट स्थायी पूंजी विनियोजन की 125 प्रतिशत तथा मध्यम एवं वृहद श्रेणी की इकाइयों के लिये स्थायी पूंजी विनियोजन की 100 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, सीमेन्ट प्लाण्टों के मामले में, लघु श्रेणी के उद्योगों एवं मध्यम/वृहद श्रेणी के उद्योगों के लिये क्रमश: एक करोड़ रुपये एवं चार करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन, सरकार ने कर से छूट की सीमा को उनके कर दायित्व के 75 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत तक संशोधित (10 दिसम्बर 1996) कर दिया।

*अजमेर (1) एवं भिवाड़ी (7)।

(अ) 2 वाणिज्यिक कर कार्यालयों में यह देखा गया (अगस्त 2000 एवं फरवरी 2001) कि वर्ष 1993-94 एवं 1997-98 के दौरान 3 सीमेन्ट प्लाण्ट (2 अलवर के तथा एक नागौर का) जिनकी पूंजी विनियोजन लघु श्रेणी के उद्योग का था को एक करोड़ रुपये से अधिक की छूट प्रदान कर दी थी। इसके परिणामस्वरूप 42.11 लाख रुपये के कर की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को सितम्बर 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य सूचित किया गया। तथापि, उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

(ब) नागौर में यह देखा गया (अगस्त 2000) कि वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान एक सीमेण्ट का निर्माण करने वाली लघु श्रेणी की इकाई ने 95.44 लाख रुपये के मूल्य की सीमेण्ट का विक्रय किया। इकाई के संबंधित वर्षो के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 1999 एवं मार्च 2000), कर निर्धारण अधिकारी ने, कर दायित्व के 75 प्रतिशत तक अनुज्ञेय छूट के विरूद्ध उसके कर दायित्व के 100 प्रतिशत तक कर से छूट गलत रूप से प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप 7.20 लाख रुपये (कर: 3.82 लाख रुपये तथा ब्याज: 3.38 लाख रुपये मार्च 2001 तक) के कर/ब्याज की अधिक छूट प्रदान की गई।

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को सितम्बर 2000 तथा जनवरी 2001 के मध्य सूचित किया गया। तथापि, उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

(स) नागौर में यह देखा गया (अगस्त 2000) कि एक औद्योगिक इकाई जिसे उसके द्वितीय विस्तार के लिये पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था (15 मार्च 1996) को वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य के भीतर किये गये विक्रय पर 5.31 लाख रुपये के कर की छूट प्रदान कर दी गई। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि मूल इकाई तथा प्रथम विस्तारित इकाई द्वारा निर्मित माल पर कर छूट का लाभ, जो कि कुल 51.13 लाख रुपये के विक्रय का 72 प्रतिशत से राशि 36.81 लाख रुपये था, इस इकाई को उपलब्ध नहीं था, क्योंकि यह लाभ उसके द्वारा 25 अक्टूबर 1995 तक पूर्व में ही लिया जा चुका था। अत: 36.81 लाख रुपये में से राज्य के भीतर की गई 24.21 लाख रुपये की बिक्री पर इकाई को कर छूट का लाभ उपलब्ध नहीं था जो गलत रूप से प्रदान कर दिया गया परिणामस्वरूप 3.87 लाख रुपये के कर की छूट का अधिक लाभ दे दिया गया।

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को सितम्बर 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य सूचित किया गया। तथापि, उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

2.7 छूट सीमा के विरूद्ध कम समायोजन के कारण कम वसूली

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सरकार ने दो 'उद्योगो के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन योजना' अधिसूचित (मई 1987 एवं जुलाई 1989) की जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयां उनके द्वारा निर्मित माल की राज्य के भीतर तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री पर योजना द्वारा आच्छादित रीति, सीमा एवं अवधि के लिये कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने की अधिकारी थी।

दो वृत्तों में कर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला (मई 2000 तथा जनवरी 2001 के मध्य) कि वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान निम्नलिखित 3 मामलों में इन इकाइयों को उपलब्ध छूट सीमा के विरूद्ध 64.55 लाख रुपये की राशि कम समायोजित की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	कर जो समायोजित करना था	वास्तविक रूप से समायोजित कर	कम समायोजित राशि
1.	चित्तौड़गढ़	26.26	3.25	23.01
2.	चित्तौड़गढ़	7.90	1.63	6.27
3.	अपवंचन-I जयपुर	39.19	3.92	35.27
	योग	73.35	8.80	64.55

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मार्च 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य), विभाग ने सूचित किया (मई 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) कि समस्त राशि इकाई को उपलब्ध कर छूट की सीमा के विरूद्ध समायोजन के द्वारा वसूल कर ली गई है।

मामला सरकार को सूचित (मार्च 2001) किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2001)।

2.8 कर से गलत छूट प्रदान करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत सरकार ने 'बिक्री कर नव प्रोत्साहन योजना 1989' अधिसूचित (6 जुलाई 1989) की, जिसके अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयाँ, योजना में निर्धारित लाभ की अधिकतम मात्रा एवं अवधि के अधीन, उनके कर दायित्व के छूट की अधिकारी थी। तथापि, एक अधिसूचना जारी करके (7 मई 1990) तेल निकालने एवं निर्माण कर रहे उद्योगों को अपात्र उद्योग घोषित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने 23 फरवरी 1995* को यह निर्देश दिये कि राज्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता प्रमाणपत्रों के अन्तर्गत अप्राप्य लाभ उन्हें 4 अप्रैल 1994 के बाद उपलब्ध नहीं होगा।

तीन वाणिज्यिक कर कार्यालयों** में यह देखा गया (मई एवं नवम्बर 2000 के मध्य) कि वर्ष 1995-96 एवं 1997-98 के दौरान खाद्य तेल निर्माण कर रही 5 औद्योगिक इकाइयों ने राज्य के भीतर की गई खाद्य तेल की बिक्री पर 7.51 लाख रूपये की छूट का दावा किया। यद्यपि ये इकाइयां ऐसी छूट की अधिकारी नहीं थी, फिर भी संबंधित वर्षो के लिए इन इकाइयों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 1998 एवं फरवरी 2000 के मध्य) कर निर्धारण अधिकारियों ने छूट प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप 7.51 लाख रुपये के कर की छूट गलत प्रदान कर दी गई तथा मार्च 2001 तक 7.61 लाख रुपये के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (मई एवं नवम्बर 2000 के मध्य), कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (मई 2001) कि चित्तौड़गढ़ की इकाई के सम्बन्ध में 3.22 लाख की मांग कायम की जा चुकी है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मामले में आगे की प्रगति तथा शेष मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2001)।

चूक को विभाग के ध्यान में (जून 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) लाया गया तथा सरकार को सूचित (जनवरी एवं फरवरी 2001 के मध्य) किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 2001)।

---

* 1994 की सिविल अपील संख्या 5738 राजस्थान राज्य बनाम मै. गोपाल आयल मिल्स।

** चित्तौड़गढ़, 'सी' जयपुर, नागौर।

2.9 क्रय कर आरोपित नहीं करना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994, के अन्तर्गत यदि कोई व्यवसायी बिना कोई कर चुकाये कोई माल क्रय करता है तथा अन्य वस्तु के निर्माण में उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है तो वह 3 प्रतिशत की दर अथवा ऐसे माल की श्रेणी के लिये संबद्ध कर की दर, जो भी कम हो, से क्रय कर चुकाने का दायी होगा। न्यायिक रूप से यह माना* गया है कि तेल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया 'निर्माण' होती है।

पाँच वाणिज्यिक कर कार्यालयों** में यह देखा गया (अगस्त 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य) कि वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान पांच निर्माणकर्ताओं ने 50.12 करोड़ रुपये मूल्य का वनस्पति तेल पुनः विक्रय हेतु घोषणापत्रों के समर्थन पर बिना कोई कर चुकाये क्रय किया किन्तु उसका उपयोग परिष्कृत तेल के निर्माण में किया। तथापि निर्माणकर्ताओं के, संबंधित वर्षों के, कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (फरवरी 1999 एवं मार्च 2000 के मध्य), कर निर्धारण अधिकारियों ने वनस्पति तेल के क्रय पर क्रय कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 2.86 करोड़ रुपये के क्रय कर/ब्याज (करः 1.51 करोड़ रुपये एवं ब्याजः 1.35 करोड़ रुपये मार्च 2001 तक) का आरोपण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (सितम्बर 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य), विभाग ने सूचित किया (मई 2001) कि यद्यपि जयपुर के एक व्यवसायी के सम्बन्ध में 31.85 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी है, वसूली की सूचना एवं शेष व्यवसाइयों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2001)।

मामला जनवरी एवं मार्च 2001 के मध्य सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2001)।

2.10 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं जारी करके राज्य सरकार ने भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिये भिन्न-भिन्न कर की दरें निर्धारित की। वे

---

* (1998) 111 एस टी सी 188 मै. बी.पी. आयल मिल्स लि. बनाम बिक्री कर अधिकरण एवं अन्य (उच्चतम न्यायालय)। बिक्री कर याचिका संख्या 02/1997 मै. बी.डी. एडीबल आयलस् प्रा. लि. बनाम सचिव जि.स्त.छा.सं. एवं आ.वा.क. (आर टी टी)।

** विशेष वृत्त-अलवर, अपवंचन-I जयपुर, 'सी' जयपुर, नागौर एवं श्रीगंगानगर।

वस्तुऐं, जिनके लिये कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई है, पर इन अधिसूचनाओं में निर्धारित सामान्य कर की दर से कर आरोपणीय है।

तीन वृत्तों के कर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 3 मामलों में कर की गलत दर लगाने के कारण कर एवं ब्याज के कुल 91.04 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	इकाइयों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण का माह	वस्तु	अनियमितता की प्रकृति	व्यापारावर्त	कर एवं ब्याज का कम आरोपण
1	'एच' जयपुर	1	1996-97/एवं 1997-98/ अगस्त 1998 एवं मार्च 2000	लीफ स्प्रिंग्स	न्यायिक रूप से यह माना* गया है कि लीफ स्प्रिंग्स मोटर पार्ट्स नहीं है, अत: वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान इन पर क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत की सामान्य दर से कर दायित्व था। किन्तु गलत रूप से 6 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया।	572.30	45.52
टिप्पणी:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अगस्त 2000), विभाग ने सूचित किया (जून 2001), कि मई 2001 में 46.46 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2001)। मामला, जनवरी 2001 में सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2001)।							
2	'ए' जयपुर	1	1997-98/ सितम्बर 1999	कम्प्यूटर प्रिन्टर्स एवं कन्सूमे-बल्स	इन वस्तुओं पर, सही सामान्य दर 12 प्रतिशत के बजाय इन्हें कम्प्यूटर मानते हुए 4 प्रतिशत की दर से गलत रूप से कर आरोपित किया गया	283.76	42.22
टिप्पणी:-चूक विभाग के ध्यान में लायी गई (सितम्बर 2000) तथा सरकार को सूचित (मार्च 2001) की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 2001)।							
3.	'सी' जयपुर	1	1997-98/ मार्च 2000	पेपर कोन (स्पीकर का एक पुर्जा)	चूंकि इसके लिये कोई विशिष्ट कर दर निर्धारित नहीं की गई है अत: इस पर 12 प्रतिशत की समान्य दर से कर दायित्व है। किन्तु इस पर गलत रूप से 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया।	165.08	3.30
टिप्पणी:-लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसम्बर 2000), विभाग ने सूचित (दिसम्बर 2000) किया कि समस्त राशि इकाई को उपलब्ध छूट की सीमा के विरूद्ध समायोजन के द्वारा वसूल कर ली गई है। मामला सरकार को सूचित (अप्रैल 2001) किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2001)।							
योग		3					91.04

* (1996) 103 एस टी सी 401 मै. चन्द्रा इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य (आर टी टी)।

2.11 गणना की त्रुटि के कारण कर का अवनिर्धारण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (1954 का पुराना अधिनियम), के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुओं के कर योग्य व्यापारावर्त पर निर्धारित दर से कर का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित कर की कुल राशि में से व्यवसायी द्वारा जमा अग्रिम कर को घटाते हुए शुद्ध वसूलनीय राशि की गणना की जाती है।

तीन वाणिज्यिक कर कार्यालयों* में यह देखा गया (अगस्त 2000 एवं जनवरी 2001 मध्य) कि पांच व्यवसाइयों के वर्ष 1995-96 से 1997-98 के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (सितम्बर 1998 एवं मार्च 2000 के मध्य), कर निर्धारण अधिकारियों ने 47.33 लाख रुपये की सही राशि के बजाय गलत रूप से कर की राशि 21.27 लाख रुपये की गणना की। इसके परिणामस्वरूप 26.06 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (अगस्त 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य), विभाग ने सूचित किया (मार्च एवं जुलाई 2001) कि जयपुर के 3 व्यवसायियों के सम्बन्ध में 9.13 लाख रुपये की राशि इन व्यवसायियों को उपलब्ध छूट की सीमा के विरूद्ध समायोजन के द्वारा वसूल कर ली गई है तथा उदयपुर के व्यवसायी के सम्बन्ध में 2.60 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी है। उदयपुर के व्यवसायी के सम्बन्ध में वसूली की सूचना तथा शेष अलवर के व्यवसायी के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2001)

मामला सरकार को सूचित (मार्च/अप्रैल 2001) किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2001)।

2.12 ब्याज का अनारोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994, के अन्तर्गत यदि किसी व्यवसायी ने विवरणी के अनुसार देय कर का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया है तो वह उस तिथि, जिस तक उसे कर का भुगतान करना था, से भुगतान किये जाने की तिथि तक ऐसी कर राशि पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भुगतान करने का दायी होगा।

(अ) जयपुर में यह देखा गया (जुलाई 2000) कि एक व्यवसायी के वर्ष 1997-98 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2000), यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने, वांछित घोषणापत्रों से असमर्थित विक्रय पर कर आरोपित

* विशेष अलवर, 'ई' जयपुर एवं 'बी' उदयपुर।

कर दिया किन्तु कर पर ब्याज आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 5.28 लाख रुपये के ब्याज का अनारोपण हुआ।

(ब) इसी प्रकार, भीलवाड़ा में देखा गया (अक्टूबर 2000) कि एक व्यवसायी के वर्ष 1996-97 के कर निर्धारण कौ अन्तिम रूप देते समय (मार्च 1999) यद्यपि कर निर्धारण अधिकारी ने आरोपित कर पर 1.48 लाख रुपये के ब्याज की गणना की किन्तु उसे मांग पत्र में सम्मिलित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 1.48 लाख रुपये के ब्याज का अनारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर (जुलाई एवं अक्टूबर 2000), विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2000 एवं मार्च 2001) कि दोनों मामलों में 6.76 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2001)।

मामला सरकार को सूचित (मार्च एवं अप्रैल 2001) किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2001)।

2.13 कर का अनारोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दिनांक 23 मार्च 1995 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार ने आटा, मैदा, सूजी का विक्रय इसके निर्माणकर्ताओं द्वारा किये जाने पर इस शर्त पर कर मुक्त किया कि ऐसे निर्माणकर्ता, कर निर्धारण अधिकारी की सन्तुष्टि हेतु यह प्रमाणित करेगा कि कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु क्रय किये गये गेहूँ पर उसके द्वारा पूरी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया है।

श्रीगंगानगर में यह देखा गया (दिसम्बर 2000) कि वर्ष 1995-96 के दौरान एक निर्माणकर्ता (प्रोत्साहन योजना 1987 का एक लाभार्थी) ने 53.88 लाख रुपये मूल्य के गेहूँ के आटे का विक्रय किया, जो ऐसे गेंहूँ से निर्मित था जिस पर कोई कर नहीं चुकाया गया था तथा उक्त विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर दायित्व था। तथापि, व्यवसायी के सम्बन्धित वर्ष के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (अगस्त 1997), कर निर्धारण अधिकारी ने, उस माल को कर चुका मानते हुए, उस पर कर आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 2.16 लाख रुपये के कर का आरोपण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये (जनवरी/फरवरी 2001) जाने पर, विभाग/सरकार ने सूचित किया (जून/जुलाई 2001) कि 2.16 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी एवं प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत व्यवसायी को उपलब्ध छूट सीमा के विरूद्ध समायोजन के द्वारा वसूल की जा चुकी थी।

अध्याय-3: मोटर वाहनों पर कर

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-01 के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 18105 मामलों में 11.93 करोड़ रुपयों के कर, शुल्क एवं शास्ति की कम वसूली का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क का भुगतान न करना/कम करना	17085	7.39
2.	विशेष पथ कर का निर्धारण/गणना न करना/कम करना	612	3.37
3.	अन्य अनियमितताएं	408	1.17
	योग	**18105**	**11.93**

वर्ष 2000-2001 के दौरान विभाग ने 3636 मामलों में अन्तर्निहित 10.45 करोड़ रुपयों के विशेष पथ कर आदि के कम निर्धारण स्वीकार किये जिनमें से 3014 मामले, जिनमें 2.42 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, लेखापरीक्षा में वर्ष 2000-01 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 40 मामलों में 67.84 लाख रुपयों की वसूली की जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। उदाहरणार्थ कुछ मामले, जिनमें 3.21 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है जो महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को उजागर करते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

3.2 मंजिली वाहनों के विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951, एवं उसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर मासिक अग्रिम रूप में प्रत्येक माह के सातवें दिन या इससे पूर्व देय है तथा इसके सम्बन्ध में वाहन स्वामी को माह के 14 दिनों के अन्दर विवरणी भी प्रस्तुत करनी होती है। यदि

कर सही चुकाया नहीं गया है या स्वामी ने विवरणी प्रस्तुत नही की है, तो कराधान अधिकारी कर की गणना करेगा और देय कर की वसूली करेगा। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति किसी उचित कारण के बिना कर या शास्ति जमा कराने में असफल रहता है या मना करता है, तो कराधान अधिकारी भू-राजस्व की बकाया की तरह से राशि वसूल करने के लिए कदम उठायेगा।

12 परिवहन कार्यालयों* में देखा गया (मार्च 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) कि 172 मंजिली वाहनों के सम्बन्ध में इन वाहनों के स्वामियों ने दिसम्बर 1993 एवं मार्च 2000 की अवधि के लिए विशेष पथ कर रुपये 61.27 लाख या तो जमा नहीं कराये या कम जमा कराये थे। इसके अतिरिक्त सीकर एवं टौंक की 13 वाहनों के मामलों में कर रुपये 13.48 लाख निर्धारित किये गये परन्तु वसूल नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप 74.75 लाख रुपये के कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में यह ध्यान दिलाये (अप्रैल 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) जाने पर विभाग/सरकार ने बताया (फरवरी एवं जुलाई 2001 के मध्य) कि अलवर, बीकानेर एवं सीकर की 26 वाहनों के सम्बन्ध में राशि रुपये 8.33 लाख वसूल कर लिये गये है तथा बीकानेर के वाहनों के सम्बन्ध में रुपये 2.53 लाख वसूली योग्य नहीं बतलाये गये है, परन्तु इसके लिए कोई कारण नहीं बताये। शेष वाहनों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 2001)।

3.3 संविदा वाहनों के विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 एवं उसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत संविदा वाहनों के सम्बन्ध में 1 अप्रैल 1997 से विशेष पथ कर मासिक अग्रिम रूप से निर्धारित दर से, जिस माह से कर संबंधित है के सातवें दिन या इससे पूर्व देय है।

7 परिवहन कार्यालयों** में यह देखा गया (अप्रैल 2000 एवं दिसम्बर 2000 के मध्य) कि 85 संविदा वाहनों के संबंध में अप्रैल 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य की विभिन्न अवधियों के लिए इन वाहनों के स्वामियों द्वारा विशेष पथ कर या तो जमा नहीं कराया गया या कम जमा कराया गया था। कराधान अधिकारियों ने देय कर की वसूली की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप विशेष पथ कर की राशि रुपये 1.03 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई।

---

* अलवर, बीकानेर, बूंदी, चित्तोडगढ़, चूरू, डूँगरपुर, जयपुर, झन्झुनु, सीकर, पाली, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर

** बीकानेर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर।

यह ध्यान दिलाये (जून 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) जाने पर सरकार ने बताया (जनवरी एवं जून 2001) कि विभाग ने 8 वाहनों के सम्बन्ध में राशि रुपये 4.72 लाख वसूल कर ली गयी है। शेष कार्यालयों के सम्बन्ध में उनके उत्तर प्राप्त नही हुये (अगस्त 2001)।

3.4 निजी सेवा वाहनों के विशेष पथ कर की अवसूली

मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत 'निजी सेवा वाहन' का अर्थ है एक ऐसा मोटर वाहन जिसका उपयोग स्वयं स्वामी द्वारा अथवा उसकी ओर से उसके व्यापार अथवा व्यवसाय के सम्बन्ध में, किराये अथवा प्रतिफल के अन्यथा, व्यक्तियों के ले जाने के उद्देश्य से किया जाता हो, किन्तु इसमें सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले मोटर वाहन शामिल नहीं हैं। ऐसे निजी वाहनों के सम्बन्ध में विशेष पथ कर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर देय है।

5 परिवहन कार्यालयों** में यह देखा गया (मार्च 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य) कि 140 वाहनों के सम्बन्ध में सितम्बर 1989 एवं मार्च 2000 के मध्य की अवधि के लिए देय विशेष पथ कर इनके स्वामियों द्वारा नहीं जमा कराया गया। कराधान अधिकारियों ने भी देय कर की राशि की वसूली की कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप विशेष पथ कर की राशि रुपये 9.20 लाख की अवसूली हुई।

यह ध्यान दिलाये (अप्रैल 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) जाने पर सरकार ने बताया (जुलाई 2001) कि विभाग ने 33 मामलों के सम्बन्ध में राशि रुपये 2.50 लाख वसूल कर ली है तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे थे (अगस्त 2001)।

3.5 एक्सकेवेटरों/डम्परों/भार वाहनों के कर की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत सभी वाहनों पर, जिनका राज्य में उपयोग किया जाता है अथवा जो उपयोग हेतु रखे जाते है, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों से मोटर वाहन कर आरोपित एवं संग्रहित किया जायेगा। मोटर वाहन कर के

** बाड़मेर, चूरू, जोधुपर, सीकर एवं सिरोही।

अतिरिक्त, विशेष पथ कर भी सभी वाहनों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से देय है।

5 परिवहन कार्यालयों* में यह देखा गया (अप्रैल 2000 एवं जनवरी 2001 के मध्य) कि 111 एक्सकेवेटरों/डम्परों/भार वाहनों के सम्बन्ध में अक्टूबर 1982 एवं मार्च 2000 के मध्य की विभिन्न अवधियों के लिये इन वाहनों के स्वामियों द्वारा मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर या तो जमा नहीं कराया या कम जमा कराया था। कराधान अधिकारियों ने भी देय कर राशि की वसूली की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कर की राशि रुपये 61.07 लाख की अवसूली/कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में यह ध्यान दिलाये (मई 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) जाने पर सरकार ने सूचित किया (जनवरी 2001) कि चित्तौडगढ़ की दो सीमेन्ट कारखानों के स्वामित्व के 31 वाहनों के मामले न्यायालयों में विचाराधीन थे तथा कोटा के एक मामले के सम्बन्ध में राशि रुपये 0.13 लाख विभाग द्वारा वसूल कर लिये गये हैं। अन्य वाहनों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 2001)।

3.6 मांगों का गलत रद्द किया जाना

राजस्थान मोटर वाहन कराधान, अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत अनुमतिपत्रों पर संचालित होने वाले अन्य राज्यों के परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर समय समय पर निर्धारित दर से देय है तथा राज्य में प्रवेश करते समय कर संग्रहण केन्द्र/जांच चौकियों पर कर का भुगतान करेगें। इसके अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी या कराधान अधिकारी ऐसी गलती जो अभिलेख को देखने से प्रकट होती है को सुधारने के लिए उसके या उनके द्वारा पारित आदेश को संशोधित कर सकेगा।

श्रीगंगानगर में यह देखा गया (नवम्बर 2000) कि 11 पर्यटक वाहन जो राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली के द्वारा जारी अखिल भारतीय पर्यटन अनुमतिपत्रों के अन्तर्गत प्राधिकार के आधार पर राज्य में संचालित थे, के संचालकों द्वारा या तो कर नहीं चुकाया या कम चुकाया गया। इसलिए अप्रैल 1997 एवं अप्रैल 2000 के मध्य की विभिन्न अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर का भुगतान नहीं करने/कम करने से कर की कुल राशि रुपये 46.56 लाख (मय शास्ति) की मांग 25 अप्रैल 2000 को कायम की तथा 20 जून 2000 को 4 वाहन अधिग्रहित कर लिये गये। कराधान अधिकारी ने इन अधिग्रहित चार वाहनों

* चित्तौड़गढ़, जोधपुर, करौली, कोटा एवं सिरोही।

को नीलाम करने हेतु परिवहन आयुक्त से आदेश प्राप्त कर लिये थे। वाहनों की नीलामी, किसी प्रकार, नहीं हो सकी तथा 12 सितम्बर 2000 को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गयी थी।

कराधान अधिकारी द्वारा मांग कायमी के विरूद्ध संचालकों की याचिका को राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द (26 मई एवं 13 जून 2000) कर दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि यदि वाहन संचालक मांग के विरुद्ध 18 लाख रुपये जमा कराता है तथा कराधान अधिकारी की संतुष्टि हेतु शेष राशि के लिए समृद्धता प्रतिभूति दो सप्ताह में प्रस्तुत करता है तो वाहनों की प्रस्तावित नीलामी रोक दी जावे तथा न्यायालय के आगामी आदेशों तक अधिग्रहण के अधीन वाहनों को मुक्त नहीं किया जावेगा।

कराधान अधिकारी ने संचालक के आवेदन पर अपराध का आंशिक प्रशमन कर, सभी वाहनों के विरुद्ध कायम मांग को रद्द कर दिया तथा जब्त वाहनों को छोड़ दिया। दो वाहनों की मांग यह बताते हुए रद्द कर दी गयी कि पत्रावलियों के साथ तथ्यों की संवीक्षा करने पर यदि आवश्यक हुआ तो इन आदेशों के सुधार के लिए कार्यवाही होगी, जबकि 9 वाहनों की मांग यह बताते हुए रद्द कर दी गयी कि ये वाहन प्राय: राज्य में सांगरिया से प्रवेश करते हैं, अत: ये मामले जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़ के क्षेत्राधिकार में आते हैं, वह अपने विवेकाधिकार के अनुसार पुन: कर निर्धारण कर नये नोटिस जारी करने के लिए कार्यवाही कर सकता है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया था कि मुख्यमंत्री के सचिवालय के द्वारा प्रशासनिक जांच स्थापित किये जाने पर संचालक ने उच्च न्यायालय से याचिका वापिस ले ली थी।

संचालक के आवेदन पर उसके द्वारा उच्च न्यायालय से याचिका कथित वापस लिये जाने पर भी मांग रद्द करने तथा जब्त वाहनों को छोड़ने की कराधान अधिकारी की कार्यवाही गलत थी, और इन मामलों में अभिलेखों से स्पष्ट रूप में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व की कुल 46.56 लाख रुपये की हानि हुई।

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को (दिसम्बर 2000) प्रेषित किया गया। तथापि उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

3.7 गैर-अस्थाई अनुमतिपत्रों के बिना रखे गये यात्री वाहनों से मोटर वाहन कर की अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 के अन्तर्गत यात्री वाहन जो गैर-अस्थाई अनुमतिपत्र से आच्छादित नहीं है के सम्बन्ध में इस अधिनियम की धारा 4(1)(a) के अन्तर्गत समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित पूर्ण दर से मोटर वाहन कर देय है।

4 परिवहन कार्यालयों* में यह देखा गया (मई 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) कि मार्च 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य की अवधि के लिए 35 यात्री वाहनों के स्वामियों द्वारा, जिनके वाहन गैर-अस्थाई अनुमतिपत्रों से आच्छादित नहीं रहे, निर्धारित दर से मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन कर राशि रुपये 14.86 लाख की अवसूली रही।

लेखापरीक्षा में यह ध्यान दिलाये (जून 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) जाने पर सरकार ने सूचित किया (जनवरी एवं जुलाई 2001) कि विभाग ने अलवर एवं बीकानेर के 6 वाहनों के संबंध में राशि 1.09 लाख रुपये वसूल कर ली गई है तथा शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे है (अगस्त 2001)।

3.8 एक बारीय कर की अवसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1997 से 10 बैठक तक की क्षमता वाले गैर-परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में एक बारीय कर देय है। 1 अप्रैल 1997 से पूर्व राज्य अथवा राज्य के बाहर पंजीकृत वाहन जो पहले इसके अन्तर्गत नहीं आते थे तथा अब इसके अधीन आते है, से प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा उसके भाग के लिये निर्धारित राशि कमी के अधीन 30 अप्रैल 1997 को या इससे पूर्व एक बारीय कर देय होगा।

भीलवाड़ा एवं सीकर में यह देखा गया (मार्च 2000 एवं अक्टूबर 2000) कि ऐसे गैर-परिवहन वाहनों जो 1 अप्रैल 1997 से पूर्व पंजीकृत थे जिनके सम्बन्ध में एक बारीय कर देय है के वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान नहीं किया गया। कराधान अधिकारियों ने भी देय एक बारीय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 221 वाहनों के सम्बन्ध में कुल 6.18 लाख रुपये के एक बारीय कर की अवसूली हुई।

* अलवर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और टौंक।

लेखापरीक्षा में यह ध्यान दिलाये (अप्रैल एवं नवम्बर 2000) जाने पर सरकार ने बतलाया (जून 2001) कि विभाग ने भीलवाड़ा के 3 वाहनों के सम्बन्ध में राशि रुपये 0.12 लाख वसूल कर ली है। शेष वाहनों से वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2001)।

3.9 व्यापारियों से कर एवं शुल्क की अवसूली

मोटर वाहन नियमों के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में मोटर वाहनों के स्वामित्व वाले निर्माताओं/व्यवसायियों, जिन्हें प्राधिकार के अधीन व्यवसायिक प्रमाणपत्र स्वीकृत है अथवा स्वीकृत माना गया है, पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (1 अप्रैल 1997 से प्रभावी) दर से कर देय है। दो पहिया वाहनों के मामले में प्रत्येक 100 वाहन या इसके भाग के लिये 1000 रुपये की दर से कर देय है जबकि तीन या चार पहिया वाहनों के मामले में प्रत्येक 50 वाहन या इसके भाग के लिए 2000 रुपये की दर से कर देय है। इस कर के अतिरिक्त निर्माता/व्यवसायी केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के द्वारा निर्धारित आवेदन/नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने का दायी है।

5 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों एवं 4 जिला परिवहन कार्यालयों* में यह देखा गया (अप्रैल 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य) कि 156 व्यवसाइयों ने व्यवसायिक प्रमाणपत्र की स्वीकृति/नवीनीकरण शुल्क एवं उनके द्वारा बिक्री किये गये वाहनों के संबंध में कर का भुगतान नहीं किया एवं 29 व्यवसाइयों ने न तो व्यवसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त किया और न ही कर का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 1997 एवं मार्च 2000 के मध्य की अवधि के लिए राशि 5.43 लाख रुपये के कर एवं शुल्क की अवसूली हुई।

लेखापरीक्षा में यह ध्यान दिलाये (अप्रैल 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य) जाने पर सरकार ने बतलाया (जून 2001) कि विभाग ने 10 व्यवसाइयों से राशि 0.31 लाख रुपये वसूल कर ली है। शेष व्यवसाइयों के सम्बन्ध में वसूली की आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2001)।

* क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय: अजमेर, अलवर, बीकानेर, दौसा एवं सीकर
जिला परिवहन कार्यालय: बांरा, भरतपुर, भीलवाड़ा एवं श्रीगंगानगर।

अध्याय-4: भू-राजस्व

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-01 के दौरान लेखापरीक्षा में भू-राजस्व अभिलेखों की मापक जांच में 8945 मामलों में 130.56 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण और राजस्व हानि आदि का पता लगा जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1	प्रीमियम और किराये की अवसूली	273	1.57
2.	भूमि के पूँजीगत मूल्य की अवसूली	393	5.20
3.	सिंचित क्षेत्र में भू-आवंटन पर प्रीमियम की कम वसूली	118	0.45
4.	अधिभार की मांग कायम नहीं करना	332	0.29
5.	अतिचार के मामलों में शास्ति की मांग कायम न करना	5405	18.33
6.	ब्याज एवं शास्ति की मांग कायम नहीं करना	121	0.15
7.	राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अधीन अधिग्रहित भूमि के मूल्य की मांग कायम नहीं करना।	2	0.08
8.	मालकाना वृद्धि की मांग कायम नहीं करना	417	0.10
9.	अन्य अनियमितताएं	1884	104.39
	कुल	**8945**	**130.56**

वर्ष 2000-01 के दौरान, विभाग ने 598 मामलों में, जिनमें 7.10 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये, जिनमें से 31.28 लाख रुपये अन्तर्निहित के 130 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2000-01 के दौरान ध्यान में लाये गए थे तथा शेष पूर्व के वर्षों में। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2000-01 के दौरान 315 मामलों में 3.73 करोड़ रुपयों की वसूली की, जिनमें 5.13 लाख रुपयों के 45 मामले वर्ष 2000-01 से संबंधित थे और शेष पूर्व वर्षों के। लेखापरीक्षा की मुख्य टिप्पणियों को दर्शाते हुए कुछ निदर्शी मामले जिनमें 1.18 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए है:

4.2 पूंजीगत मूल्य का अनिर्धारण और अवसूली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत, सरकारी अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल 1961 के अनुसार जब कभी अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि, जो उन कस्बों और शहरों में जिनकी जनसंख्या 50,000 या अधिक है अथवा उन कस्बों अथवा गाँवों में जिनकी जनसंख्या 50,000 से कम है, में स्थित है किसी विकास न्यास, नगरपालिका को आबादी विकसित करने हेतु आवंटित होती है तो भूमि का पूंजीगत मूल्य स्वीकृत भू-राजस्व दर का 40/20 गुणा वसूलनीय है।

7 तहसीलों के 336 ग्रामों की 75,425.05 बीघा भूमि का हस्तान्तरण जयपुर विकास प्राधिकरण को आबादी क्षेत्र विकसित करने हेतु किया गया। इसमें पाया गया कि भूमि का पूंजीगत मूल्य 62.21 लाख रुपये (न्यूनतम भू-राजस्व दर का 40/20 गुणा से गणना की गई) का न तो निर्धारण किया गया न ही जयपुर विकास प्राधिकरण से नीचे दर्शाये विवरणानुसार वसूल किया गया:-

क्र. सं.	तहसील	ग्रामों की संख्या	जे डी ए के अधिकार युक्त क्षेत्र (बीघा में)	भू-राजस्व की न्यूनतम प्रति बीघा दर (रुपयों में)	पूंजीगत मूल्य (लाख रुपयों में)
1.	चाकसू	30	2,979.02	10.00	5.96
2.	बस्सी	21	7,424.19	1.25	1.86
3.	चौमू	3	1,651.18	5.00	1.65
4.	आमेर	46	16,310.14	4.00	13.05
5.	जमवारामगढ़	31	9,188.06	1.40	2.57
6.	जयपुर	62	18,092.15	1.85	13.39
7.	सांगानेर	143	19,777.11	6.00	23.73
	योग	**336**	**75,425.05**	-	**62.21**

उक्त मामला विभाग/सरकार के ध्यान में जून 2001 में लाया गया था, लेकिन उनसे उत्तर प्राप्त (अगस्त 2001) नहीं हुआ।

4.3 विकास प्रभारों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि भूमि में रूपान्तरण) नियम 1961 के साथ पठित राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन किए जाने पर जिस कस्बे या नगर में भूमि अवस्थित है उसकी जनसंख्या के आधार पर पट्टाधारक से विकास प्रभारों के रूप में प्रीमियम वसूलनीय है। सरकार ने एक अधिसूचना (अप्रैल 1988) जारी

करके 1959 के नियमों में यह प्रावधान किया था कि उन स्थानों पर जहाँ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहा है वहाँ विकास प्रभार वही होगें जो रीको द्वारा वसूल किए जा रहे है।

तहसील किशनगढ़बास (अलवर) एवं बून्दी में पाया गया (सितम्बर 2000 एवं जुलाई 2000) कि ग्राम खैरथल, बूँदी शहर और छात्रपुरा के 3 मामलों में खातेदारी कृषि भूमि 15 बीघा 10 बिस्वा संबंधित जिलों के जिलाधीशों द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु आवंटित (जून 1994 एवं मार्च 2000 के मध्य) की गई थी। रीको इन क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि विकसित कर रहा था एवं विकास प्रभारों की वसूली कर रहा था, लेकिन जिलाधीशों द्वारा एक मामले में विकास प्रभार वसूल नहीं किया जबकि दो मामलों में गलत दर से विकास प्रभार वसूल किया गया। इसके परिणामस्वरूप विकास प्रभारों के 33.46 लाख रुपयों की अवसूली/कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला ध्यान में (अगस्त 2000 एवं नवम्बर 2000) लाने पर विभाग ने बताया (जून 2001) कि विकास प्रभार वसूली योग्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार/रीको ने इन क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं किया है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रीको इन कस्बों में औद्योगिक विकास कर रहा था और स्थल का विकास भी रीको का एक चार्टर है।

मामला सरकार को सूचित (अप्रैल-मई 2001) किए जाने पर विभाग के उत्तर की पुष्टि की (जून-अगस्त 2001)।

4.4 आरक्षित मूल्य की कम वसूली

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975, के अनुसार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिचिंत क्षेत्र में सरकारी कृषि भूमि के आवंटन करने पर, मिट्टी की किस्म पर आधारित भूमि के वर्गीकरण पर निहित दर से आरक्षित मूल्य वसूल करना था। भूमि का आरक्षित मूल्य गत बार 8 जनवरी 1997 को संशोधित किया गया था।

उपनिवेशन तहसील नम्बर-1 कोलायत (बीकानेर जिला) में पाया गया (जून 1999) कि 4 चकों की 498 बीघा सरकारी कृषि भूमि 26 व्यक्तियों को (जुलाई 1998 एवं मार्च 1999 के मध्य) आवंटित की गई थी। भूमि के मूल्य का निर्धारण संशोधन से पूर्व की दर पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप भूमि का मूल्य 11.63 लाख रुपये कम लिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में (जुलाई 1999) लाये जाने पर विभाग ने बतलाया (जून 2001) कि सरकार के पत्र दिनांक 18 नवम्बर 1996 के अनुसार विनिमय में आवंटित भूमि का मूल्य पूर्व के आवंटन पर प्रचलित आरक्षित मूल्य के अनुसार वसूलनीय है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आवंटन पत्र में भूमि का मूल्य जो वसूल किया जाना था, उसका कोई सन्दर्भ नहीं है। यह बात विभाग को अगस्त 2001 में बतला दी गई थी। आगे कोई प्रगति प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2001)।

मामला सरकार को सूचित किए जाने पर (अप्रैल 2001) विभाग के उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2001)।

4.5 प्रीमियम और पट्टे किराये की कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जारी की गई राजकीय अधिसूचना दिनांक 2 अगस्त 1984 के अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमि किसी विशेष प्रयोजन के लिए आवंटित किए जाने पर जिले के जिलाधीश द्वारा निर्धारित, पड़ोस की उसी किस्म की कृषि भूमि की प्रचलित बाजार दर के बराबर प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया (प्रीमियम राशि के 10 प्रतिशत के बराबर) वसूलनीय होता है।

तहसील श्रीमाधोपुर (सीकर) में पाया गया (जून 2000) कि 16 बीघा सरकारी कृषि भूमि का आवंटन (अप्रैल 1999) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को जिलाधीश ने आदेश दिनांक 7 अप्रैल 1999 द्वारा निर्धारित प्रीमियम 10.47 लाख रुपये और पट्टा किराया 1.05 लाख रुपये (प्रीमियम राशि का 10 प्रतिशत) प्रतिवर्ष भुगतान की शर्त पर किया गया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नि:शुल्क भूमि आवंटन के निवेदन पर जिलाधीश के आदेश दिनांक 30 मार्च 2000 के अनुसार मात्र एक लाख रुपये अल्प राशि के भुगतान पर भूमि का कब्जा दे दिया गया (मार्च 2000)। इसके परिणामस्वरूप प्रीमियम के 9.47 लाख रुपये एवं पट्टा किराया के 1.05 लाख रुपये कुल 10.52 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने (जून 2000) पर विभाग ने बताया (फरवरी 2001 एवं जून 2001) कि संबंधित मांग राजस्व लेखे वर्ष 2000-01 में कायम कर ली गई है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2001)।

मामला सरकार को सूचित (मई 2001) किये जाने पर विभाग के उत्तर की पुष्टि की गई (जून 2001)।

करके 1959 के नियमों में यह प्रावधान किया था कि उन स्थानों पर जहाँ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रहा है वहाँ विकास प्रभार वही होगें जो रीको द्वारा वसूल किए जा रहे हैं।

तहसील किशनगढ़बास (अलवर) एवं बून्दी में पाया गया (सितम्बर 2000 एवं जुलाई 2000) कि ग्राम खैरथल, बूँदी शहर और छात्रपुरा के 3 मामलों में खातेदारी कृषि भूमि 15 बीघा 10 बिस्वा संबंधित जिलों के जिलाधीशों द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु आवंटित (जून 1994 एवं मार्च 2000 के मध्य) की गई थी। रीको इन क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि विकसित कर रहा था एवं विकास प्रभारों की वसूली कर रहा था, लेकिन जिलाधीशों द्वारा एक मामले में विकास प्रभार वसूल नहीं किया जबकि दो मामलों में गलत दर से विकास प्रभार वसूल किया गया। इसके परिणामस्वरूप विकास प्रभारों के 33.46 लाख रुपयों की अवसूली/कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला ध्यान में (अगस्त 2000 एवं नवम्बर 2000) लाने पर विभाग ने बताया (जून 2001) कि विकास प्रभार वसूली योग्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार/रीको ने इन क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं किया है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रीको इन कस्बों में औद्योगिक विकास कर रहा था और स्थल का विकास भी रीको का एक चार्टर है।

मामला सरकार को सूचित (अप्रैल-मई 2001) किए जाने पर विभाग के उत्तर की पुष्टि की (जून-अगस्त 2001)।

4.4 आरक्षित मूल्य की कम वसूली

राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975, के अनुसार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सिचिंत क्षेत्र में सरकारी कृषि भूमि के आवंटन करने पर, मिट्टी की किस्म पर आधारित भूमि के वर्गीकरण पर निहित दर से आरक्षित मूल्य वसूल करना था। भूमि का आरक्षित मूल्य गत बार 8 जनवरी 1997 को संशोधित किया गया था।

उपनिवेशन तहसील नम्बर-1 कोलायत (बीकानेर जिला) में पाया गया (जून 1999) कि 4 चकों की 498 बीघा सरकारी कृषि भूमि 26 व्यक्तियों को (जुलाई 1998 एवं मार्च 1999 के मध्य) आवंटित की गई थी। भूमि के मूल्य का निर्धारण संशोधन से पूर्व की दर पर किया गया जिसके परिणामस्वरूप भूमि का मूल्य 11.63 लाख रुपये कम लिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में (जुलाई 1999) लाये जाने पर विभाग ने बतलाया (जून 2001) कि सरकार के पत्र दिनांक 18 नवम्बर 1996 के अनुसार विनिमय में आवंटित भूमि का मूल्य पूर्व के आवंटन पर प्रचलित आरक्षित मूल्य के अनुसार वसूलनीय है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि आवंटन पत्र में भूमि का मूल्य जो वसूल किया जाना था, उसका कोई सन्दर्भ नहीं है। यह बात विभाग को अगस्त 2001 में बतला दी गई थी। आगे कोई प्रगति प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2001)।

मामला सरकार को सूचित किए जाने पर (अप्रैल 2001) विभाग के उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2001)।

4.5 प्रीमियम और पट्टे किराये की कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जारी की गई राजकीय अधिसूचना दिनांक 2 अगस्त 1984 के अनुसार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमि किसी विशेष प्रयोजन के लिए आवंटित किए जाने पर जिले के जिलाधीश द्वारा निर्धारित, पड़ोस की उसी किस्म की कृषि भूमि की प्रचलित बाजार दर के बराबर प्रीमियम और वार्षिक पट्टा किराया (प्रीमियम राशि के 10 प्रतिशत के बराबर) वसूलनीय होता है।

तहसील श्रीमाधोपुर (सीकर) में पाया गया (जून 2000) कि 16 बीघा सरकारी कृषि भूमि का आवंटन (अप्रैल 1999) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को जिलाधीश ने आदेश दिनांक 7 अप्रैल 1999 द्वारा निर्धारित प्रीमियम 10.47 लाख रुपये और पट्टा किराया 1.05 लाख रुपये (प्रीमियम राशि का 10 प्रतिशत) प्रतिवर्ष भुगतान की शर्त पर किया गया। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नि:शुल्क भूमि आवंटन के निवेदन पर जिलाधीश के आदेश दिनांक 30 मार्च 2000 के अनुसार मात्र एक लाख रुपये अल्प राशि के भुगतान पर भूमि का कब्जा दे दिया गया (मार्च 2000)। इसके परिणामस्वरूप प्रीमियम के 9.47 लाख रुपये एवं पट्टा किराया के 1.05 लाख रुपये कुल 10.52 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाए जाने (जून 2000) पर विभाग ने बताया (फरवरी 2001 एवं जून 2001) कि संबंधित मांग राजस्व लेखे वर्ष 2000-01 में कायम कर ली गई है। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2001)।

मामला सरकार को सूचित (मई 2001) किये जाने पर विभाग के उत्तर की पुष्टि की गई (जून 2001)।

अध्याय-5: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-01 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पंजीयन कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में 208.16 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली के 2761 मामलों का पता लगा, जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	प्रलेखों के गलत वर्गीकरण से अवसूली/कम वसूली	84	0.53
2.	सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन से मुद्रांक कर की कम वसूली	1107	2.22
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली	1068	203.22
4.	अन्य अनियमितताएँ	502	2.19
	योग	**2761**	**208.16**

वर्ष 2000-01 के दौरान, विभाग ने 362 मामलों में अन्तर्निहित 26.34 लाख रुपये के, अवनिर्धारण स्वीकार किये, जिनमें से 1.23 लाख रुपये के 22 मामले वर्ष 2000-01 के दौरान ध्यान में लाये गये थे तथा शेष पूर्व वर्षों में। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2000-01 के दौरान 201 मामलों में 12.14 लाख रुपये वसूल किये, जिनमें 0.69 लाख रुपये के 15 मामले वर्ष 2000-01 से सम्बन्धित थे तथा शेष पूर्व वर्षों से। कुछ निदर्शी मामले जिनमें 204.23 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, और जो महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को उजागर करते हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

5.2 मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि

राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 23 के अनुसार अचल सम्पत्ति के विक्रय करार को हस्तान्तरण विलेख समझा जावेगा तथा उस पर मुद्रांक कर की वसूली बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से की जावेगी। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर ने मार्च 1998 में स्पष्ट किया कि संयंत्र एवं मशीनरी जो भूमि से इस प्रकार जुड़े है कि उन्हें भूमि एवं भवन से अलग नहीं किया जा सकता है तो ऐसे मामलों में मुद्रांक कर 10 प्रतिशत देय होगा एवं चल संयंत्र एवं मशीनरी के मामलों में मुद्रांक कर प्रचलित बाजार मूल्य पर 0.5 प्रतिशत देय होगा। इस स्थिति को जून 1998 में फिर स्पष्ट किया गया कि यदि भूमि से जुड़े/गड़े हुए संयंत्र एवं मशीनरी को जमीन से अलग कर बेचान किया जाता है तो उस पर भी 10 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय होगा।

(अ) लेखापरीक्षा में पाया गया (नवम्बर-दिसम्बर 2000) कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रारविम), जयपुर द्वारा भूमि से जुड़े 1647.43 करोड़ रुपये मूल्य के संयंत्र, मशीनरी और उपकरण (वितरण/पावर ट्रान्सफोर्मर, जेनेरेटरस्, टरबाइन्स, आइसोलेटरस्, सीवीटी पेनेल्स, स्विचगियर आदि) जहाँ है जैसा है के आधार पर, बेचने के लिए 107 विक्रय विलेख प्राईवेट पार्टियों के पक्ष में मार्च 1995 से सितम्बर 1996 के दौरान निष्पादित किए गए। इन विक्रय विलेखों का संबंधित पंजीयक अधिकारियों के पास पंजीयन नहीं कराया गया। महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक), अजमेर के स्पष्टीकरणों के अनुसार इन प्रलेखों का पंजीयन कराना आवश्यक था जिन पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 165.01 करोड़ रुपये आरोपणीय थे।

(ब) लेखापरीक्षा संवीक्षा में इसके अतिरिक्त ज्ञात हुआ (नवम्बर-दिसम्बर 2000) कि मार्च 1995 से सितम्बर 1996 के मध्य 106 पट्टा विलेख प्राईवेट पार्टियों द्वारा रारविम के पक्ष में 6 से 10 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित किए गए। जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद में दर्शाया गया है उन संयंत्र, मशीनरी आदि को जो विक्रय की गई थी, वापिस लीज पर लिया गया। चूंकि ये अचल सम्पत्तियां थी, इन के पट्टा विलेखों का पंजीयन कराना आवश्यक था। इन पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 34.87 करोड़ रुपये आरोपणीय थे।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने (नवम्बर-दिसम्बर 2000) पर, विभाग ने बताया (अप्रैल 2001) कि संबंधित पार्टियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रलेखों के प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए है। मामला सरकार को सूचित किया गया (मई 2001) उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

5.3 विक्रय विलेखों का पंजीयन नहीं होने से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि

भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति जिनका मूल्य सौ रुपये या अधिक है उनके विक्रय/हस्तान्तरण के प्रत्येक विलेख का पंजीयन कराना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 63 के अन्तर्गत पट्टे का समर्पण के जरिये, न कि पट्टे के अधीन, हस्तान्तरण करने पर हस्तान्तरण विलेख की तरह मुद्रांक कर देय होता है।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) के 24 क्षेत्रीय कार्यालयों और राजस्थान वित्त निगम के 20 कार्यालयों के अभिलेखों अवधि अप्रैल 1995 से मार्च 2000 की लेखापरीक्षा में पाया गया कि अचल सम्पत्ति (भूमि, भवन मय संयंत्र एवं मशीनरी) के 101 विक्रय/हस्तान्तरण के मामलों में पट्टा विलेखों का निष्पादन तथा उनका अधिनियम के अनुसार पंजीयन नहीं कराया गया, इसके परिणामस्वरूप 1.62 करोड़ रुपये (मुद्रांक कर 1.54 करोड़ रुपये एवं पंजीयन शुल्क 0.08 करोड़ रुपये) की राजस्व हानि हुई।

मामला विभाग/सरकार को दिसम्बर 2000 और अप्रैल 2001 के मध्य प्रेषित किया गया लेकिन उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

5.4 पट्टा विलेखों का निष्पादन नहीं करना

भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार प्रत्येक 99 वर्ष के लिए व्यक्तियों को भूमि हस्तान्तरण के पट्टा विलेखों का निष्पादन आवश्यक रूप से पंजीयन योग्य होता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 1980 और जनवरी 2001 के मध्य रीको के 14 क्षेत्रीय कार्यालयों* द्वारा 754 व्यक्तियों को 10,03,095 वर्ग मीटर भूमि औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए आवंटित की गई थी। इन मामलों में पट्टा विलेख निष्पादित कर पंजीयन हेतु पंजीयन कार्यालयों में प्रस्तुत नहीं किए गए। पट्टा विलेखों के निष्पादन नहीं करने से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 1.72 करोड़ रुपये आरोपित नहीं किये गये।

* आबू रोड़, अजमेर, भीलवाड़ा, बालोतरा, बीकानेर, बून्दी, भरतपुर, बोरानाड़ा, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, शाहजहाँपुर, सीकर एवं सवाईमाधोपुर।

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को जून 2001 में प्रेषित किया गया लेकिन उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

5.5 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

(i) भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जैसा राजस्थान में अनुकूलित) के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी विलेख में सम्पत्ति का अवमूल्यांकन लक्षित हो तो उसे कलेक्टर (मुद्रांक) के पास सम्पत्ति का सही बाजार मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रेषित करना होता है। राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के नियम 59 'ख' में प्रावधान है कि सम्पत्ति का बाजार मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति (डी. एल.सी.) द्वारा अनुशंसित दरों, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा अनुमोदित दरों में जो भी उच्चतर हों, के आधार पर किया जावेगा।

ग्यारह उप-पंजीयक कार्यालयों में पाया गया कि (सितम्बर 1999 एवं जनवरी 2001 के मध्य) अचल सम्पत्ति (व्यावसायिक/आवासीय भूखण्ड एवं कृषि भूमि) हस्तान्तरण के 59 मामलों में सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण कम दरों पर या तो व्यावसायिक सम्पत्ति के स्थान पर आवासीय दरों से अथवा डी.एल.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से किया गया। इन मामलों को उप-पंजीयक ने सही मूल्य निर्धारण हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) को नहीं भेजे। इसके परिणामस्वरूप कुल 57.10 लाख रुपये के मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क, तालिका में दिए गये विवरणानुसार, कम अरोपण हुआ:

(लाख रुपयों में)

स्थान का नाम	मामलों की संख्या	सम्पत्ति की प्रकृति	डी.एल.सी. के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य	आंका गया मूल्य	मुद्रांक कर		पंजीयन शुल्क		कम वसूल किया गया मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	माह जिसमें दस्तावेज पंजीयन किये गये
					वसूली योग्य	वसूल किया गया	वसूली योग्य	वसूल किया गया		
भोपालगढ़	1	व्यावसायिक	157.00	7.00	15.70	0.70	0.25	0.07	15.18	दिसम्बर 1999
मांडलगढ़	3	व्यावसायिक	71.87	2.72	7.19	0.27	0.49	0.03	7.38	जून 1999 और सितम्बर 1999
कपासन	1	व्यावसायिक	67.02	0.33	4.69	0.03	0.25	-	4.91	अगस्त 1998

स्थान का नाम	मामलों की संख्या	सम्पत्ति की प्रकृति	डी.एल.सी. के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य	आंका गया मूल्य	मुद्रांक कर		पंजीयन शुल्क		कम वसूल किया गया मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	माह जिसमें दस्तावेज पंजीयन किये गये
					वसूली योग्य	वसूल किया गया	वसूली योग्य	वसूल किया गया		
थानागाजी	10	आवासीय	82.34	8.07	7.78	0.78	0.78	0.09	7.69	जनवरी 1998 से अक्टूबर 1998
घड़साना	12	आवासीय	109.57	16.17	8.67	1.27	1.09	0.16	8.33	मई 1998 से जुलाई 1999
जयपुर-III	1	व्यावसायिक	54.45	2.40	3.81	0.17	0.25	0.02	3.87	अक्टूबर 1998
भीम	5	आवासीय एवं व्यावसायिक	54.25	20.74	5.43	2.07	0.54	0.21	3.69	जून 1999 और अगस्त 1999
बड़ी सादड़ी	7	व्यावसायिक	31.77	15.01	3.18	1.50	0.31	0.15	1.84	जुलाई 1999
बहरोड़	1	व्यावसायिक	21.45	2.53	1.50	0.18	0.21	0.02	1.51	फरवरी 1999
गंगरार	14	आवासीय	22.33	9.77	2.23	0.97	0.23	0.10	1.39	जनवरी 1998
भादरा	4	व्यावसायिक	19.76	6.66	1.83	0.62	0.20	0.10	1.31	मार्च 1999 एवं सितम्बर 1999
योग									**57.10**	

लेखापरीक्षा में अवगत (नवम्बर 1999 एवं मार्च 2001 के मध्य) कराने पर विभाग ने बताया (अगस्त 2000) कि उपपंजीयक, कपासन का मामला कलेक्टर (मुद्रांक) के न्यायालय में अधिनिर्णय हेतु पंजीकृत कराया गया है। इसके अतिरिक्त उप पंजीयक, थानागाजी ने बताया (जनवरी 2001) कि 10 मामलों में वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। शेष 9 कार्यालयों से उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 2001)।

उक्त मामले सरकार के ध्यान में (मार्च 2000 और अप्रैल 2001 के मध्य) लाये गये उनका उत्तर अपेक्षित रहा (अगस्त 2001)।

(ii) महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक ने निर्देश जारी किये (मार्च 1997) कि जहां खरीदी गई कृषि भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्ग गज या 1000 वर्ग गज से मामूली सा अधिक है अथवा जहां खरीददार एक से ज्यादा हैं और प्रत्येक खरीददार के हिस्से में इस माप तक का क्षेत्र आता है तो ऐसी भूमि को मूल्य निर्धारण हेतु आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक जैसा भी मामला हो, उसी प्रयोजनार्थ माना जावेगा। निर्देशों (अक्टूबर 1999) के अनुसार नगरपालिका या इसकी परिसीमा

क्षेत्र में जहां आवासीय प्रयोजनार्थ खरीदी गई कृषि भूमि 1000 वर्ग गज से अधिक है तो उसका मूल्य निर्धारण कृषि भूमि की दरों के तीन गुना से किया जावेगा।

उप-पंजीयक, नाथद्वारा (राजसमंद) में पाया गया (जनवरी 2001) कि 5 विक्रय विलेख दिसम्बर 1999 में पंजीकृत किए गए थे जिन पर मुद्रांक कर के 2.61 लाख रुपये और पंजीयन शुल्क के 0.26 लाख रुपये वसूल किए गए थे। इनमें भूमि का मूल्य निर्धारण आवासीय दर के स्थान पर कृषि दर से किया गया था। भूमि की आवासीय दर के आधार पर मूल्य 95.63 लाख रुपये होता है जिस पर मुद्रांक कर 9.56 लाख रुपये एवं पंजीयन शुल्क 0.82 लाख रुपये वसूली योग्य बनते है। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के कुल 7.51 लाख रुपये कम आरोपित हुये।

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को जनवरी और मार्च 2001 के मध्य सूचित किया गया परन्तु उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

(iii) राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 23 में यह उल्लेख किया गया है कि अचल सम्पत्ति के विक्रय के इकरारनामे जिसमें यदि सम्पत्ति के कब्जे का हस्तान्तरण ऐसे इकरारनामे के निष्पादन से पूर्व, निष्पादन के समय अथवा बाद में किया जाता है तो इन्हें हस्तान्तरण विलेख समझा जावेगा तथा उस पर मुद्रांक कर की वसूली सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर की जावेगी।

उप-पंजीयक, श्रीगंगानगर में पाया गया (जनवरी 2001) कि 14 विक्रय इकरार विलेखों द्वारा हस्तान्तरित किये गये 1,92,698 वर्ग गज माप के 14 कृषि भूमि भूखण्डों का पंजीयन जनवरी 2000 से नवम्बर 2000 के मध्य किया गया जिनमें अग्रिम प्राप्त किए गये 22.55 लाख रुपयों पर मुद्रांक कर 93,315 रुपये एवं पंजीयन शुल्क 28,635 रुपये कम दर से वसूल किए गए थे जबकि इन भूखण्डों का प्रचलित बाजार मूल्य 64.35 लाख रुपये होता है जिस पर मुद्रांक कर 5.93 लाख रुपये एवं पंजीयन शुल्क 0.59 लाख रुपये वसूली योग्य होते है। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 5.30 लाख रुपये कम आरोपित किए गये।

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को मार्च और मई 2001 के मध्य सूचित किया गया लेकिन उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

(iv) राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 5 में किए गए संशोधन (26 मार्च 1999) में यह उल्लेख किया गया है कि अचल सम्पत्ति के विक्रय इकरारनामें के मामलो में जिसमें कब्जा नहीं दिया गया है उनमें इकरारनामा अथवा इकरारनामा ज्ञापन में निश्चित सम्पत्ति के कुल प्रतिफल पर मुद्रांक कर 3 प्रतिशत से वसूल किया जावेगा। जबकि सम्पत्ति विक्रय

के मामलों में जहां पर सम्पत्ति का कब्जा दे दिया गया है या देने की बात पर राजी है तो उन मामलों में सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 10 प्रतिशत मुद्रांक कर देय होता है।

उप-पंजीयक, हनुमानगढ़ में पाया गया (जनवरी 2001) कि 16 कृषि भूमि भूखण्ड का कब्जा सहित हस्तान्तरण, 16 विक्रय इकरारनामे विलेखों द्वारा किया गया उनमें 3 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 1.65 लाख रुपये वसूल किए गए जबकि सम्पत्ति का बाजार मूल्य 53.10 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की गणना 5.83 लाख रुपये होती है। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 4.18 लाख रुपये कम आरोपित किए गए।

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को मार्च एवं मई 2001 के मध्य सूचित किया गया लेकिन उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

5.6 मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अवसूली/कम वसूली

(i) राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 63 के अन्तर्गत पट्टे का समर्पण के जरिये, न कि पट्टे के अधीन, हस्तान्तरण करने पर अधिशुल्क के अनुमानित मूल्य पर मुद्रांक कर वसूली योग्य है। राजस्थान सरकार ने वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा संशोधन किया है कि खनिज पट्टा हस्तान्तरण के मामलों में मुद्रांक कर अनुमानित रायल्टी के स्थान पर भूमि के मूल्य पर देय होगा। इसके अतिरिक्त यदि खनिज क्षेत्र की भूमि की दरें निर्धारित नहीं की गई हो तो उसके बाजार मूल्य का निर्धारण उसके पास के क्षेत्र की कृषि भूमि की उच्चतम दर से किया जावेगा।

पांच उप-पंजीयक कार्यालयों में सितम्बर 2000 और मार्च 2001 के मध्य पाया गया कि 12 मामलों में खनिज/औद्योगिक क्षेत्र का हस्तान्तरण अक्टूबर 1998 और नवम्बर 1999 के मध्य किया गया इनमें खनिज पट्टों का बाजार मूल्य डी एल सी द्वारा निर्धारित दरों से कम पर अथवा उस क्षेत्र के पास की कृषि भूमि की उच्चतम दर से कम दर पर किया गया। औद्योगिक भूखण्ड के ऐसे मामलों में जिनमें डी एल सी द्वारा दरें निर्धारित नहीं की गई थी, सम्पत्ति का बाजार मूल्य कृषि भूमि के तीन गुना के आधार पर वसूल नहीं किया गया। इसके

परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के कुल 19.19 लाख रुपयों का, नीचे दिए विवरण के अनुसार कम आरोपण हुआ:

(लाख रुपयों में)

उप-पंजीयक कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित पट्टों की संख्या	स्थानान्तरित खनिज/ औद्योगिक क्षेत्र	खनिज क्षेत्र का बाजार मूल्य	मुद्रांक कर		पंजीयन शुल्क		मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली	माह जिसमें प्रलेख पंजीकृत किए गए
				वसूली योग्य	वसूल किया गया	वसूली योग्य	वसूल किया गया		
उदयपुर	3	813.27 बीघा	109.82	7..69	0.48	0.39	0.08	7.52	अक्टूबर 1998
किशनगढ़ (अजमेर)	1								मार्च 1999
कुचामन सिटी (नागौर)	4	105.00 बीघा	58.98	4.36	0.01	0.59	-	4.94	फरवरी 1999 से जुलाई 1999
खेरवाड़ा	1	96.56 हेक्टेयर	58.90	4.12	0.06	0.25	0.01	4.30	जनवरी 1999
जयपुर-III	3	11.86 बीघा	22.45	2.25	0.03	0.22	0.01	2.43	सितम्बर 1999 और नवम्बर 1999
योग								19.19	

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को दिसम्बर 2000 और अप्रैल 2001 में प्रेषित किया गया, लेकिन उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

(ii) राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 63 के अन्तर्गत पट्टे का समर्पण के जरिये, न कि पट्टे के अधीन, हस्तान्तरण करने पर मुद्रांक कर, हस्तान्तरण विलेख की तरह सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल की राशि पर लिया जावेगा। परन्तु रीको द्वारा उद्यमियों को आवंटित औद्योगिक भूखण्डों के लिए निष्पादित पट्टे विलेखों पर भूखण्ड के बाजार मूल्य पर 6 प्रतिशत की दर से वसूल किया जावेगा।

उप-पंजीयक कार्यालय शिवगंज एवं उदयपुर में पाया गया कि 16 पट्टा इकरारनामें फरवरी 1998 और नवम्बर 2000 के बीच में हस्तान्तरण विलेखों द्वारा पंजीकृत किये गये थे उन पर 10 प्रतिशत की बजाय 6 प्रतिशत दर से मुद्रांक कर लिया गया। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के कुल 8.15 लाख रुपयों का कम आरोपण हुआ।

उक्त मामला विभाग/सरकार को जून 2001 में सूचित किया गया परन्तु उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

अध्याय-6: राज्य उत्पाद शुल्क

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच में 200 मामलों में 133.31 करोड़ रुपये की राशि के उत्पाद शुल्क राजस्व की अवसूली/कम वसूली का पता चला जो मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में आते हैं:

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली/अवसूली	42	3.79
2.	मदिरा की अधिक क्षति से उत्पाद शुल्क की हानि	13	0.12
3.	चिरे हुये डोडापोस्त के उत्पादन एवं निस्तारण पर शिथिल नियंत्रण	1	92.93
4.	अन्य अनियमितताएं	144	36.47
	योग	200	133.31

वर्ष 2000-2001 के दौरान विभाग ने 114 मामलों में अन्तर्निहित 32.18 करोड़ रुपये की कम वसूली इत्यादि स्वीकार की, जिनमें से 13.81 करोड़ रुपयों के 92 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2000-2001 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे। विभाग ने 146 मामलों में 8.95 करोड़ रुपये वसूल किये जिनमें से 5.74 करोड़ रुपयों के 43 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2000-2001 के दौरान तथा शेष पूर्व वर्षों में बताये गये थे। कुछ निदर्शी मामले जिनमें 111.60 करोड़ रुपये सन्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

6.2 चिरे हुये डोडा पोस्त के उत्पादन एवं निस्तारण पर शिथिल नियंत्रण

(अ) राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज (एन.डी.पी.एस.) नियम, 1985 के अनुसार चिरे हुये डोडा पोस्त, अफीम पोस्त पौधे का वह फूल (केप्सूल) है जिसमें से कच्ची अफीम निकाल ली गई है। इस प्रकार चिरे हुए डोडा पोस्त एवं अफीम दोनों एक ही पौधे के उत्पाद हैं। नियमानुसार अफीम पोस्त के प्रत्येक कृषक को प्रति वर्ष 1 अप्रैल को भूमि, जिसमें वह पोस्त की खेती करता है, तथा उसके द्वारा उत्पादित फसल से संबंधित चिरे हुए डोडा पोस्त के भंडार के संबंध में एक धोषणापत्र सरकार को प्रस्तुत करना होता है। नियम में यह भी प्रावधान है कि कृषक के कब्जे में चिरे हुए डोडा पोस्त का भण्डार 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य में या तो बेचा जावेगा या जला कर नष्ट कर दिया जायेगा। 1977 में नारकोटिक्स विभाग के आधार पर राजकीय आबकारी विभाग द्वारा प्रति हेक्टेयर 500 किलोग्राम चिरे हुए डोडा पोस्त के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था।

नारकोटिक्स विभाग तथा आबकारी विभाग के अभिलेखों के प्रति-सत्यापन में ज्ञात हुआ कि (नारकोटिक्स विभाग के अभिलेखों के अनुसार) कृषि वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के दौरान 1,92,990 कृषकों द्वारा 47,899.660 हेक्टेयर भूमि पर अफीम की खेती की गई। तथापि आबकारी विभाग के अभिलेख 88,462 कृषकों द्वारा 22,710.614 हेक्टेयर भूमि पर चिरे हुए डोडा पोस्त का उत्पादन करना दिखते हैं। आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रचलित मानकों के अनुसार कुल 47,899.660 हेक्टेयर भूमि पर 2,39,498.3 क्विंटल चिरे हुए डोडा पोस्त का उत्पादन होना चाहिये था। आबकारी विभाग का अभिलेख 22,710.614 हेक्टेयर भूमि पर 90,162.12 क्विंटल चिरे हुए डोडा पोस्त का उत्पादन दर्शाता है तथा शेष 25,189.046 हेक्टेयर भूमि पर कोई उत्पादन नहीं दर्शाता। इस प्रकार 1,49,336.18 क्विंटल चिरे हुए डोडा पोस्त को लेखों में कम लिया गया जिस पर 34.27 करोड़ रुपये आबकारी शुल्क निहित है।

ध्यान में लाये जाने पर (मार्च 2001), विभाग ने बतलाया (मई 2001) कि विभाग ने चिरे हुए डोडा पोस्त के उत्पादन के कोई मानक निर्धारित नहीं किये है तथा 1977 के परिपत्र में उल्लेखित 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन का लेखापरीक्षा ने गलत अर्थ निकाला है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिपत्र में दर्शाया गया अनुमानित उत्पादन नारकोटिक्स विभाग के मानकों के अनुसार है।

सरकार, जिसे मामला सूचित (मार्च 2001) किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जून 2001) की।

(ब) 1977 में अफीम की न्यूनतम योग्य उपज (मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड) के मानक (नारकोटिक्स विभाग द्वारा निर्धारित) प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम थे जबकि चिरे हुए डोडा पोस्त की अनुमानित उपज 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी।

नारकोटिक्स विभाग ने अफीम की न्यूनतम योग्य उपज संशोधित की और इसे 1995-96 से 1999-2000 तक के फसल वर्षों के लिये 30 किलोग्राम से 48 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया। चूंकि अफीम तथा चिरे हुए डोडा पोस्त एक ही पौधे के उत्पाद है अत: यह मानना उचित है कि मोटे तौर इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन के बीच यथानुरूप सीधा संबंध है। नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम की न्यूनतम योग्य उपज की संशोधित वृद्धि के साथ आबकारी विभाग द्वारा प्रति हेक्टेयर चिरे हुए डोडा पोस्त के न्यूनतम उत्पादन मानकों में भी संशोधन किया जाना था। तथापि आबकारी विभाग द्वारा चिरे हुए डोडा पोस्त के उपज के मानकों में संशोधन नहीं किया गया। अफीम की न्यूनतम योग्य उपज में वृद्धि के अनुसार चिरे हुए डोडा पोस्त के उत्पादन में यथानुरूप वृद्धि करते हुये कुल 47,899.660 हेक्टेयर जोती हुयी भूमि पर 2,58,009.72 क्विंटल चिरे हुए डोडा पोस्त का उत्पादन होना चाहिये था परंन्तु यह छिपाया गया जिसमें 58.66 करोड़ रुपये का राजस्व सन्निहित था।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये जाने पर (मार्च 2001), विभाग ने बतलाया (मई 2001) कि राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज (एन.डी.पी. एस.) एक्ट, 1985 के अन्तर्गत अफीम एवं पोस्त घास की खेती एवं उत्पादन को नियंत्रित करने की शक्ति केन्द्र सरकार में निहित है तथा राज्य सरकार के पास अफीम एवं चिरे हुए डोडा पोस्त के उत्पादन को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करने हेतु कोई शक्तियां निहित नहीं है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी चिरे हुए डोडा पोस्त की अनुमति, नियंत्रण एवं व्यवस्थित करने की पर्याप्त शक्तियां एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 10 में दी गई हैं जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार उनके स्वयं के नियम बना सकती है। विभाग के इस तर्क पर कि लेखापरीक्षा टिप्पणी प्रायोगिक जाँच पर आधारित नहीं है, के संबंध में उल्लेख है कि प्रायोगिक जाँच के आधार पर मानकों को विभाग निर्धारित करता है इसके अभाव में ऊपर लिखे अनुसार उत्पादन में वास्तविक छिपाव है।

सरकार, जिसे मामला सूचित (मार्च 2001) किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जून 2001) की।

6.3 अनुज्ञापत्र शुल्क एवं बोतल भराई शुल्क की अवसूली/कम वसूली

9 जुलाई 1998 की अधिसूचना द्वारा संशोधित राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अधीन विशेषाधिकार (फ्रेंचाइज) व्यवस्था के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा.नि.वि.म.)/बीयर के निर्माण की अनुमति देने हेतु आसवनी के लिए निर्धारित शुल्क 4 लाख रुपये की 50 प्रतिशत राशि देय होगी। इसके अतिरिक्त भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की बोतल भराई शुल्क "स्वयं के ब्रान्ड" हेतु निर्धारित 0.75 रुपये प्रति बोतल है जबकि फ्रेंचाइज व्यवस्था के अन्तर्गत भा.नि.वि.म./बीयर की बोतल भरने हेतु यह दुगनी दर से वसूली योग्य है।

उदयपुर तथा अलवर में यह देखने में आया (जून तथा अगस्त 2000) कि दो* इकाइयों ने जिनके पास आसवनी अनुज्ञापत्र सहित भा.नि.वि.म. की बोतलें भरने के अनुज्ञापत्र थे, तथा एक किण्वनशाला (ब्रेवरी)** ने फ्रेंचाइज व्यवस्था के अन्तर्गत दूसरी यूनिटों के विभिन्न ब्राण्डों की भा.नि.वि.म./बीयर की 2,20,25,818 बोतलें वर्ष 1999-2000 के दौरान भरी तथा फ्रेंचाइज व्यवस्था के स्थान पर स्वयं के ब्राण्ड के लिये निर्धारित दरों से बोतल भराई शुल्क जमा कराया जिसके फलस्वरूप 1.65 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त उपरोक्त दोनों आसवनियाँ को भा.नि.वि.म. के निर्माण एवं बोतल भराई का अनुज्ञापत्र फ्रेंचाइज व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था, जिसके लिये अनुज्ञाशुल्क के 4 लाख रुपये यद्यपि जमा कराने योग्य थे, न तो जमा कराये गये न वसूल किये गये। इस प्रकार कुल 1.69 करोड़ रुपये वसूल नहीं हुये।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये (जून तथा अक्टूबर 2000) जाने पर, विभाग ने बतलाया (मई 2001) कि उदयपुर से संबंधित सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली गई है। अलवर के सम्बन्ध में विभाग ने बताया (फरवरी 2001) कि वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये है परन्तु मैसर्स अलाइड डोमेक स्प्रिट एवं वाइन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड ने 10 लाख रुपये जमा कराने के पश्चात न्यायालय से स्टे प्राप्त कर लिया है। इस सम्बन्ध में आगे कोई प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2001)।

सरकार जिसे मामला सूचित (अक्टूबर 2000 से मार्च 2001) किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जुलाई 2001) की ।

---

* (i) मैसर्स उदयपुर डिस्टलरी कम्पनी लिमिटेड, उदयपुर एवं (ii) मैसर्स अलाइड डोमेक स्प्रिट एवं वाइन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, बहरोड़ (अलवर)

** मैसर्स विन्सम ब्रेवरीज लिमिटेड सारेखुर्द, तिजारा, अलवर

6.4 निविदापत्र को स्वीकार करने की स्वीकृति में विलम्ब के कारण एकाकी विशेषाधिकार राशि की हानि

राज़स्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत देशी मदिरा, भा.नि.वि.म. तथा बीयर के खुदरा विक्रय के एकाकी विशेषाधिकार के अनुज्ञापत्र सीलबंद निविदाऐं प्राप्त करके स्वीकृत किये जाते है। अनुज्ञापत्र की शर्तो के अनुसार एकाकी विशेषाधिकार राशि (ए.वि.रा.) अनुज्ञाधारी से समान मासिक किश्तों में वसूल की जाती है।

जयपुर (शहर) में यह जानकारी में आया (जनवरी 2001) कि एक अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र में 60 दिन का विलम्ब किया गया जिससे 1.43 करोड़ रुपये की हानि हुई जिसमें से 46.68 लाख रुपये वसूल कर लिये गये, परिणामस्वरूप 96.27 लाख रुपये की शुद्ध हानि हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये (फरवरी 2001) जाने पर विभाग ने बतलाया (मई 2001) कि उक्त अवधि में गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (जी.एस.एम.) द्वारा दुकाने चलाई गई तथा मूल अनुज्ञाधारी, जिसके कारण हानि हुई, पर 21.49 लाख रुपये की शास्ति आरोपित की गई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शास्ति तथा जी. एस.एम. से प्राप्त राशि मात्र 46.68 लाख रुपये थी जो संपूर्ण हानि रुपये 1.43 करोड़ रुपये की पूर्ति नहीं करती है।

सरकार, जिसे मामला सूचित किया (मार्च 2001) गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जुलाई 2001) की ।

6.5 अनुज्ञाधारियों को अनुचित वित्तीय सहायता

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 67-केके (9 एवं 10) के अनुसार एक सफल निविदादाता को पत्र व्यवहार में सूचित किये गये समय में वांछित धरोहर राशि नकद जमा करानी होती है। दिये गये समय में वांछित धरोहर राशि जमा नहीं करायी जाती है तो स्वीकृत निविदाओं को निरस्त किया जा सकता है तथा निरस्तीकरण की अवस्था में निविदादाता द्वारा जमा करायी गई बयाना राशि जब्त राज्य सरकार होगी। वर्ष 1999-2000 की निविदा में प्रावधान है कि सफल निविदादाता को एकाकी विशेषाधिकार राशि (ए.वि.रा.) की 17 प्रतिशत की दर से धरोहर राशि निविदा स्वीकृति के 10 दिन में या दुकानें प्रारम्भ करने से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करानी होगी।

उदयपुर व जयपुर (शहर) में यह जानकारी में (जून 2000 तथा जनवरी 2001) आया कि देशी मदिरा, भा.नि.वि.म. एवं बीयर के खुदरा विक्रय के 5 समूहों* को 151.92 करोड़ रुपये की ए.वि.रा. पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किए गये। तद्नुसार धरोहर के 25.83 करोड़ रुपये (ए.वि.रा. का 17 प्रतिशत) अनुज्ञाधारियों द्वारा 1 अप्रैल 1999 से 1 जून 1999 के मध्य जमा कराये जाने थे। तथापि मार्च 2000 तक इन अनुज्ञाधारियों द्वारा मात्र 10.42 करोड़ रुपये जमा कराये गये तथा 15.41 करोड़ रुपये जमा नहीं कराये गये। धरोहर राशि 15.41 करोड़ रुपये कम जमा कराये जाने के परिणामस्वरूप अनुज्ञाधारी को अनुचित वित्तीय सहायता मिली तथा उन्हें पूरी धरोहर राशि जमा कराये बिना ही अनुज्ञापत्र पर कार्य करने दिया गया।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये जाने पर (जून 2000 से फरवरी 2001) विभाग ने बतलाया (मई-जून 2001) कि सरकार ने एक प्रकरण में ठेकों का निपटारा न होने के कारण धरोहर जमा कराने की अवधि में छूट प्रदान की तथा एक दूसरे प्रकरण में अनुज्ञाधारी के समस्याग्रस्त होने के कारण तथा अनुज्ञाधारी के विरूद्ध, ठेका पूर्ण होने पर, कोई राशि बकाया न रहने के कारण छूट प्रदान की। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियम/अधिनियम में धरोहर राशि जमा कराने के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार, जिसे मामला सूचित (मार्च-अप्रैल 2001) किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जुलाई 2001) की ।

6.6 अनुमतिपत्र के शुल्क की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम 1956, जो कि अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 1997 द्वारा संशोधित किया गया, के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1997 से शोधित प्रासव के आयात पर 3 रुपये प्रति बल्क लीटर (बी.एल.) की दर से एवं राज्य के भीतर उसके परिवहन पर 2 रुपये प्रति बी.एल. की दर से अनुमतिपत्र (परमिट) शुल्क वसूलनीय है।

5 कार्यालयों** में यह (अगस्त 1998 से अगस्त 1999 के मध्य) जानकारी में आया कि शोधित आसव (99,600 बी.एल.) छः प्रेषणों में मै. राजस्थान राज्य गंगानगर शूगर मिल्स लिमिटेड (जी.एस.एम.) द्वारा अनुमतिपत्र शुल्क जमा कराये बिना आयात किया गया। इसी प्रकार 8,17,000 बल्क लीटर शोधित आसव के 58

* (1) उदयपुर, (2) नाथद्वारा, (3) राजसमन्द, (4) शाहपुरा-विराटनगर तथा (5) जयपुर-बस्सी।
** भरतपुर, जयपुर (अभियोजन), झुन्झुनु, सीकर तथा सवाईमाधोपुर।

प्रेषण एक देशी मदिरा निर्माण केन्द्र से राज्य में दूसरे केन्द्र पर अनुमतिपत्र शुल्क दिये बिना परिवहन (अप्रैल 1997 से जनवरी 1999) किये गये। इसके फलस्वरूप आयात एवं परिवहन पर अनुमतिपत्र शुल्क के 19.31 लाख रुपये अवसूल रहे।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये जाने पर (सितम्बर 1998 से सितम्बर 1999) विभाग ने बतलाया (अगस्त 2000) कि सम्पूर्ण राशि वसूल की जा चुकी है।

सरकार, जिसे मामला सूचित (सितम्बर 1998 एवं सितम्बर 1999) किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जुलाई 2001) की ।

6.7 अभिवहन में आसव के अधिक क्षय पर उत्पाद शुल्क की अवसूली

राजस्थान स्टॉक ग्रहण और अपचय (आसवनी एवं गोदामों पर) नियम, 1959 के अन्तर्गत बन्धपत्र के अधीन आयातित या परिवहनित प्रासव के रिसाव, वाष्पीकरण या अन्य अपरिहार्य कारणों से अभिवहन (ट्रांजिट) में हुई वास्तविक क्षति, चार दिन तक की यात्रा अवधि के लिये 0.2 प्रतिशत, 5 से 8 दिन के लिये 0.3 प्रतिशत तथा 8 दिन से अधिक के लिए 0.4 प्रतिशत स्वीकृत की जाती है।

9 जिला आबकारी कार्यालयों में 17,039.024 लन्दन प्रुफ लीटर (एल.पी.एल.) के आसव का अधिक क्षय विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया, परिणामस्वरूप 17.04 लाख रुपये की निम्न प्रकार से हानि हुई:

क्र. सं.	जिला आबकारी कार्यालय का नाम	परिवहनित आसव (एल.पी.एल.)	परिवहन के दिन (दिवस)	स्वीकार्य क्षय का प्रतिशत	दावा किया गया कुल परिवहन क्षय	अधिकतम ग्राह्य क्षय	परिवहन में अधिक क्षय	आरोपणीय आबकारी शुल्क (लाख रुपयों में)
					(एल.पी.एल.)			
1.	2.	3-	4.	5.	6.	7.	8.	9-
1.	जयपुर (ग्रा.)	143112.000	2-7	0.2-0.3	1808.061	339.384	1468.677	1.47
2.	अलवर	180748.000	2-5	0.2-0.3	1891.102	452.216	1438.886	1.44
3.	झन्झुनु	179748.000	3-30	0.2-0.4	2434.451	499.632	1934.819	1.94
4.	जयपुर (अभि.)	590626.000	2.23	0.2-0.4	6196.003	1898.446	4297.557	4.30
5.	बीकानेर	89920.000	1-6	0.2-0.3	5186.372	293.152	4893.220	4.89
6.	चित्तौड़गढ़	79804.000	5-20	0.3-0.4	775.020	272.652	502.368	0.50

1.	2.	3-	4.	5.	6.	7.	8.	9-
7.	जोधपुर (अभि.)	156793.200	2-7	0.2-0.3	1528.290	450.515	1077.775	1.08
8	सवाईमाधोपुर	197206.000	4-7	0.2-0.3	1433.050	518.530	914.520	0.91
9.	भीलवाड़ा	3328.000	3	0.2	576.762	65.560	511.202	0.51
	योग				**21829.111**	**4790.087**	**17039.024**	**17.04**

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये जाने पर (नवम्बर 1998 एवं मार्च 2001 के मध्य) विभाग ने बतलाया (जुलाई 2000 एवं जून 2001 के मध्य) कि 12.38 लाख रुपये की राशि की वसूली की जा चुकी है तथा शेष रुपये 4.66 लाख की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सरकार, जिसे मामला सूचित (नवम्बर 1998 एवं मार्च 2001 के मध्य) किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जुलाई 2001) की ।

6.8 ब्याज की अवसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध देय कोई कर, शुल्क या अन्य मांग की राशि का भुगतान निर्धारित देय तिथि तक नहीं किया जाता है तो देय राशि पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से अनुज्ञाधारी को साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।

9 जिला आबकारी कार्यालयों में यह ज्ञात हुआ (मई 1999 एवं नवम्बर 2000 के मध्य) कि 25 प्रकरणों में अनुज्ञाधारियों ने आबकारी की बकाया राशियाँ 1 से 1513 दिनों के विलम्ब से जमा करायी, परिणामस्वरूप नीचे दिये गये विवरणानुसार राशि 24.26 लाख रुपये ब्याज के अवसूल रहे :

क्र. सं.	जिला आबकारी कार्यालय का नाम	अवधि	प्रकरण संख्या	विलम्ब से जमा करायी गई राशि (लाख रुपये में)	विलम्ब अवधि (दिवस में)	ब्याज की राशि (लाख रुपये में)	अनियमितता की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	जोधपुर (अभि)	1999-2000	5	29.75	8 से 319	2.54	राशि विलम्ब से जमा अनुज्ञाशुल्क एवं न्यूनतम विक्रेता शुल्क की है। 5 में से 2 प्रकरणों में 1.47 लाख रुपये वसूल कर लिये गये है तथा शेष राशि 1.07 लाख रुपये हेतु भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	अलवर	1999-2000	4	442.17	1 से 279	10.42	राशि विलम्ब से जमा कराई गई बोतल भराई शुल्क की है। पूर्ण राशि वसूल कर ली गई है।
3.	चूरू	1999-2000	4	21.91	20 से 296	1.99	राशि विलम्ब से जमा प्रारम्भिक अनुज्ञापत्र शुल्क एवं न्यूनतम विक्रेता शुल्क की है। 3 प्रकरणों में 1.41 लाख रुपये वसूल कर लिये गये है तथा एक प्रकरण में शेष 0.58 लाख रुपये की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।
4.	उदयपुर	1999-2000	4	36.30	1 से 153	1.35	राशि विलम्ब से जमा प्रारम्भिक अनुज्ञापत्र शुल्क एवं न्यूनतम विक्रेता शुल्क की है। पूर्ण राशि वसूल कर ली गई है।
5.	बारां	1999-2000	2	15.45	99 से 341	1.16	राशि विलम्ब से जमा प्रारम्भिक अनुज्ञापत्र शुल्क एवं न्यूनतम विक्रेता शुल्क की है। पूर्ण राशि वसूल कर ली गई है।
6.	झुन्झुनु	1994-95	1	0.35	1186	0.26	राशि विलम्ब से जमा अनुमतिपत्र शुल्क एवं विक्रय मूल्य की है। पूर्ण राशि 3 अगस्त 2000 को वसूल कर ली गई है
7.	भीलवाड़ा	1997-98	1	5.45	534	1.91	राशि विलम्ब से जमा आबकारी शुल्क की है। पूर्ण राशि 3 अगस्त 2000 को वसूल कर ली गई है।
8.	बांसवाड़ा	1990-91	1	2.67	1513	2.61	राशि विलम्ब से जमा अनुज्ञापत्र शुल्क की है। पूर्ण राशि 3 अगस्त 2000 को वसूल कर ली गई है।
9.	श्रीगंगा-नगर	1997-98	3	4.24	530 से 755	2.02	राशि परिवहन पर विलम्ब से जमा अनुमतिपत्र शुल्क की है। पूर्ण राशि 3 अगस्त 2000 को वसूल कर ली गई है।
योग						**24.26**	

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये (जून 1999 एवं फरवरी 2001 के मध्य) जाने पर विभाग ने बतलाया (अगस्त 2000 एवं जुलाई 2001 के मध्य) कि 21 प्रकरणों में 22.61 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी तथा राशि रुपये 1.65 लाख की वसूली हेतु भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

सरकार, जिसे मामला सूचित (जून 1999 एवं मार्च 2001 के मध्य) किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जुलाई 2001) की।

अध्याय-7: अन्य कर प्राप्तियां

भूमि एवं भवन कर

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-2001 के दौरान भूमि एवं भवन कर कार्यालयों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच में 89 मामलों में 8.58 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारणों का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण कम आरोपण	29	0.56
2.	निर्धारणों में त्रुटि के कारण कम आरोपण	44	0.87
3.	अन्य अनियमितताएं	16	7.15
	योग	**89**	**8.58**

वर्ष 2000-2001 के दौरान विभाग ने 24 मामलों में 23.85 लाख रुपये के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये, जो कि लेखापरीक्षा में पूर्ववर्ती वर्षों में बताये गये थे, इनमें से 14 मामलों में 9.30 लाख रुपये वसूल किये गये। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां उजागर करने वाले 42.18 लाख रुपये के कुछ निदर्शी मामले आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

7.2 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण कर का कम आरोपण

राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत भूमि या भवन या दोनों पर कर इस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य पर आरोपणीय है। किसी पश्चातवर्ती वर्ष के लिए भूमि के मूल्य की गणना के लिए मूल्य में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि एवं कोने वाले भूखण्ड के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जोड़ी जायेगी। निदेशक, भूमि एवं भवन कर विभाग, राजस्थान, जयपुर ने (फरवरी 1991) आदेश जारी किया कि पंजीयन एवं मुद्रांक

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पिछला कर निर्धारण	उपयोग परिवर्तन	कर निर्धारण दिनांक	अनियमितता की प्रकृति	कर की अवधि	राशि
4.	जोधुपर	प्रथम निर्धारण	-	अप्रैल 1999	सम्पत्ति का क्रय 23 फरवरी 1991 को किया गया जिसमें तब से ही भूमि पर जलाऊ लकड़ी की दुकान संचालित है जो व्यावसायिक गतिविधि है, जबकि कर निर्धारण आवासीय दर से किया गया।	1991-92 से 1996-97	1.52
टिप्पणी:- उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को प्रेषित (जुलाई 2000 एवं जनवरी 2001) किया गया। तथापि, उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 2001)।							
	योग						21.92

अध्याय-8: कर-इतर प्राप्तियाँ

8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2000-01 के दौरान वन विभाग, खनन विभाग एवं सिंचाई विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 2094 मामलों में 224.01 करोड़ रुपये के अवनिर्धारणों और राजस्व की हानियों का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
अ: वन विभाग			
1.	वन प्राप्तियों पर समीक्षा	1	215.08
ब: खनन विभाग			
2.	स्थिर भाटक व अधिशुल्क की अवसूली/ कम वसूली	118	4.60
3.	अनाधिकृत खनन	5	0.12
4.	प्रतिभूति जब्त न करना	755	0.95
5.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	64	0.39
6.	अन्य अनियमितताएं	1150	2.69
स: सिंचाई विभाग			
7.	जल प्रभार की कम वसूली	1	0.18
	योग	**2094**	**224.01**

वर्ष 2000-01 के दौरान विभाग ने 777 मामलों में अन्तर्निहित 1.67 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण इत्यादि स्वीकार किये, जिसमें से 1.27 करोड़ रुपये अन्तर्निहित के 407 मामले वर्ष 2000-01 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान बताये गये थे। विभाग ने 407 मामलों में 41.44 लाख रुपये की वसूली की, इसमें से अन्तर्निहित 11.33 लाख रुपये के 77 मामले वर्ष 2000-01 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान ध्यान में लाये गये थे। कुछ निदर्शी मामले जिनमें 10.73 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, का उल्लेख अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है:

अ. वन विभाग

8.2 वन प्राप्तियों पर समीक्षा

8.2.1 प्रस्तावना

वन राजस्व प्राप्तियां राज्य सरकार की कर-इतर प्राप्तियों के मुख्य स्रोतों में से एक है। वन विभाग का, इसके सृजन के समय, मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक वन उपज की बिक्री से राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना तथा वैज्ञानिक वन प्रबन्धन के अन्तर्गत वनों में पुनः पौधारोपण करना था। तथापि स्थानीय निवासियों को लघु वन उपज बिना मूल्य लिये उपलब्ध कराने के उपरान्त वन प्राप्तियों का क्षेत्र मुख्यतः तेन्दू पत्ते की नीलामी या विभाग द्वारा विक्रय, बाँसों का समुपयोजन एवं लकड़ी की बिक्री तक सीमित है।

8.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

विभाग का पूर्ण नियंत्रण दो प्रधान मुख्य वन संरक्षकों के अधीन है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, प्रशासन एवं वनों के विकास हेतु उत्तरदायी है जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना एवं बन्दोबस्त) सीमांकन, बन्दोबस्त, कार्य योजना एवं वन्य जीव आदि के लिये उत्तरदायी है। विभाग की आठ शाखाऐं है, प्रत्येक के मुखिया मुख्य वन संरक्षक है। राज्य 13 वन वृत्तों में, जिनके मुखिया वन संरक्षक है, विभक्त है जो कि आगे मण्डलों में विभाजित किये गये है जिनका नियंत्रण मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक के अधीन है जो वन विकास एवं वन सम्पदा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के संग्रहण के लिये उत्तरदायी है।

8.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, 13 वृत्त कार्यालयों में से 3 वन सरंक्षक (अजमेर, कोटा एवं उदयपुर वृत्त) एवं 81 मण्डलों में से 20 मण्डलों* के अभिलेखों की मापक जांच नवम्बर 2000 से मार्च 2001 तक की गई। समीक्षा की मुख्य कमियाँ निम्न प्रकार हैः

* बांसवाड़ा, बाँरा (पूर्व), बाँरा (पश्चिम), भरतपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, छत्तरगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर (पूर्व), जयपुर (जन्तुआलय), झालावाड़, प्रतापगढ़, सरिस्का, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ (डी ओ डी), उदयपुर (डी ओ डी) एवं उदयपुर (दक्षिण)।

8.2.4 राजस्व की प्रवृति

राज्य द्वारा वर्ष 1995-96 से 1999-2000 की अवधि में वन से प्राप्त राजस्व निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत
1995-96	13.73	13.60	(-) 0.13	(-) 0.9
1996-97	17.52	18.89	(+) 1.37	(+) 7.8
1997-98	17.70	18.60	(+) 0.90	(+) 5.1
1998-99	17.84	17.91	(+) 0.07	(+) 0.4
1999-2000	21.08	22.98	(+) 1.90	(+) 9.0

8.2.5 बकाया की स्थिति

मार्च 1995 एवं मार्च 2000 के अन्त में ठेकेदारों, सहकारी समितियों एवं अन्य से वसूली योग्य संग्रहण से बकाया रही वन राजस्व की स्थिति बकाया अवधि सहित प्रत्येक श्रेणी के संबंध में नीचे दी गई है:

(लाख रुपयों में)

जिसके विरूद्ध बकाया है	31.3.1995 को स्थिति	1995-96 से 1999-2000 के मध्य की गई वसूलियां	शेष	1995-96 से 1999-2000 के मध्य बढ़ोतरी	31.3.2000 को स्थिति
ठेकेदार	13.74	3.13	10.61	15.42	26.03
सहकारी समितियां	6.42	शून्य	6.42	शून्य	6.42
अन्य	0.29	0.14	0.15	शुन्य	0.15
योग	**20.45**	**3.27**	**17.18**	**15.42**	**32.60**

(i) ऊपर वर्णित बकाया में से 10.34 लाख रुपये 20 वर्ष से अधिक अवधि के है तथा 6.85 लाख रुपये 5 से 20 वर्ष की अवधि के है।

(ii) 1995-96 से 1999-2000 की 5 वर्ष की अवधि में ठेकेदारों के विरूद्ध 1.4.1995 को बकाया राशि 13.74 लाख रुपये में से मात्र 3.13 लाख रुपये ही वसूल किये जा सके।

(iii) सहकारी समितियों के विरूद्ध 1997-98 तक बकाया 6.42 लाख रुपये (20 वर्ष से अधिक पुराने) में से कुछ भी वसूल नहीं किए जा सके।

(iv) मार्च 1995 की तुलना में मार्च 2000 के अन्त में बकाया में कुल 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सरकारी राशि जब भी वह बकाया हुई, की दृढ़ता से वसूली हेतु विभिन्न स्तर पर विभाग के असफल रहने के परिणामस्वरूप बकाया में वृद्धि हुई।

8.2.6 मुख्य मुख्य बिन्दु

उमरकोट (बांसी-धारियावद) पातन श्रेणी से बांसों के असमुपयोजन के कारण 3.03 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 8.2.7.1)

भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति वनारोपण एवं शास्तिक क्षतिपूर्ति वनरोपण की लागत की मांग कायम नहीं करने/ अवसूली के परिणामस्वरूप 2.81 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 8.2.7.4)

8.2.7.1 बाँस के असमुपयोजन के कारण राजस्व की हानि

बाँस वन क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास हेतु चार वर्षीय चक्र में तीन वर्ष से अधिक पुराने बाँसों का प्राकृतिक बाँस क्षेत्र में समुपयोजन किया जाता है। इस प्रकार समुपयोजित बाँसों का विभागीय कार्य मण्डल (डी ओ डी) उदयपुर द्वारा नीलामी द्वारा विक्रय किया जाता है।

1989-90 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए उदयपुर जिले की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार (2002-2003 वर्ष तक की अवधि तक बाँस का समुपयोजन नियोजित) 48,285 हेक्टेयर वन क्षेत्र में अच्छी श्रेणी के बाँस की चार पातन श्रेणियां समुपयोजन हेतु चिन्हित की गई थी।

विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पता लगा कि चार पातन श्रेणियों में से बांस की एक श्रेणी उमरकोट (बांसी धरियावद) का समुपयोजन नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

वर्ष	कुल असमुपयोजित क्षेत्र (हेक्टेयरों में)	बाँस का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन (अन्य तीन समान श्रेणियों के आधार पर) (संख्या)	(मानक) बाँस का अनुमानित उत्पादन (संख्या)	व्यय घटाने के बाद प्रति बाँस की दर (रुपये)	असमुपयोजन के कारण हानि (लाख रुपये में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1993-94	3382	202	6,83,164	5.43	37.10
1994-95	2462	308	7,58,296	6.53	49.52
1995-96	2925	169	4,94,325	7.17	35.44
1996-97	2222	233	5,17,726	9.09	47.06

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1997-98	3382	179	6,05,378	7.30	44.19
1998-99	2462	266	6,54,892	7.03	46.04
1999-2000	2925	180	5,26,500	8.23	43.33
योग					**302.68**

वर्ष 1993-94 से 1999-2000 तक उमरकोट (बांसी धरियावद) से बाँस के असमुपयोजन के परिणामस्वरूप 3.03 करोड़ रुपये की हानि हुई।

उदयपुर जिले की 1989-90 से 1999-2000 तक की अवधि की कार्ययोजना राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को स्वीकृति हेतु मार्च 1998 (लगभग 9 वर्ष विलम्ब से) भेजी गई जो भारत सरकार द्वारा मई 1998 में स्वीकृत की गई।

यह ध्यान में लाये जाने पर, उप वन संरक्षक (डी ओ डी) उदयपुर ने बताया (मार्च 2000 एवं मार्च 2001) कि 'बांसी धरियावद' पातन श्रेणी में बाँस कूपों का समुपयोजन, स्वीकृत कार्य योजना के अभाव में नहीं किया गया। इस क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं बाँस समुपयोजन के प्रस्ताव इस क्षेत्र में न तो बनाये गये और न ही स्वीकृत किये गये क्योंकि यह श्रेणी पूर्व में इस मण्डल का भाग नहीं थी। 1998-99 में वर्तमान स्वीकृत योजना के प्राप्त होने पर वर्ष 1999-2000 के लिये कार्य योजनानुसार इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया परन्तु बाँस का पातन व्यवसायिक रूप से लाभदायक नहीं पाया गया इसलिये इस क्षेत्र को पड़त रखा गया ताकि भविष्य में पर्याप्त उपज प्राप्त की जा सके। विभाग ने बाँसों के पातन के लिए समय पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की और ये भंगुर हो गये जिससे राज्य को असाधारण हानि हुई।

8.2.7.2 तेन्दु पत्ता-राजस्व की हानि

तेन्दु पत्तों का निस्तारण नीलामी द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा गठित विभाग की आरक्षित मूल्य निर्धारण समिति द्वारा तेन्दु पत्ता इकाई की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाता है। आरक्षित मूल्य निर्धारित करने से पूर्व प्रत्येक इकाई का उत्पादन पिछले तीन वर्षो के औसत तेन्दु पत्ता उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

तेन्दु पत्ता बिक्री एवं व्ययन समिति द्वारा अधिकतम बोलीदाता की निविदा, जो आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो, स्वीकृत की जाती है तथा उसी के अनुसार कार्य आवंटित किया जाता है। जहां आरक्षित मूल्य से कम बोली प्राप्त होती है ऐसी इकाइयों का निस्तारण नीलामियों द्वारा किया जाता है और यदि फिर भी नीलामी बोली आरक्षित मूल्य से कम हो तो ऐसी इकाइयों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक की सिफारिशों की प्राप्ति पर सरकार द्वारा निस्तारण किया जाता है।

वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के बीच 24 प्रकरणों में तेन्दु पत्ता संग्रहण हेतु प्राप्त अधिकतम बोली विभाग द्वारा इस कारण रद्द कर दी गई थी कि ये बोलियां इकाई के आरक्षित मूल्य से कम थीं। इसलिए तेन्दु पत्ते का संग्रहण विभाग द्वारा किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि संग्रहण किये गये तेन्दु पत्ते की बिक्री से प्राप्त आय इसके संग्रहण पर किये गये खर्चे को घटाने के पश्चात, रद्द की गई बोलियों में दी गई राशि से कम थी। इस प्रकार 31.14 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक ने बताया कि आरक्षित मूल्य से कम की बोली को स्वीकार करना सरकार की क्षमता में आता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तेन्दु पत्ता बिक्री एवं व्ययन समिति पत्तों की नीलामी से अनुमानित प्राप्ति एवं विभागीय संग्रहण के अप्रत्यक्ष प्रभाव की कल्पना करने में असफल रही।

8.2.7.3 तेन्दु पत्ते के विक्रय मूल्य की प्राप्ति बिना तेन्दु पत्ते को उठाना

राजस्थान तेन्दु पत्ता (व्यापार विनियमन) नियम, 1974 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से पूरी राशि जमा कराये बिना संग्रह किया गया तेन्दु पत्ता ठेकेदार द्वारा उठाया नहीं जायेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि मण्डल वन अधिकारी, बांरा (पूर्व) ने 1997 एवं 1998 की ऋतु में 22 इकाइयों के 15 ठेकेदारों को तेन्दु पत्ते की पूर्ण राशि वसूल किये बिना ही तेन्दु पत्ता उठाने दिया गया। इससे 27.71 लाख रुपये कम वसूली हुये।

8.2.7.4 वन भूमि का वन से अन्य कार्य हेतु परिवर्तन पर क्षतिपूर्ति का कम आरोपण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार कोई राज्य या अन्य प्राधिकारी केन्द्र सरकार की अनुमति बिना वनों के अनारक्षण या वन भूमि के वन से अन्य कार्यों हेतु उपयोग के लिये आदेश जारी नहीं करेगा।

वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि का गैर-वन कार्यों हेतु उपयोग करने पर उस भूमि के बराबर गैर-वन्य भूमि पर क्षतिपूर्ति वनारोपण किया जावेगा।

भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र के परिवर्तन हेतु इस शर्त पर स्वीकृति जारी की गई थी कि उपयोग करने वाली संस्था क्षतिपूर्ति वनारोपण एवं शास्तिक क्षतिपूर्ति वनारोपण की लागत राजकीय वन विभाग को हस्तान्तरित करेगी।

अभिलेखों की जांच से ज्ञात हुआ कि स्वीकृति में दी गई शर्तों के अनुरूप क्षतिपूर्ति वनारोपण की लागत एवं शास्तिक क्षतिपूर्ति वनारोपण की लागत की मांग कायम नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप निम्न प्रकार 2.81 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ:

(लाख रुपयों में)

मण्डल का नाम	पट्टेदार/ उपयोग करने वाली संस्था का नाम	भारत सरकार की स्वीकृति नम्बर एवं दिनांक	क्षतिपूर्ति/शास्तिक वनारोपण				अभ्युक्तियाँ
			भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार आरोपणीय		आरोपित	कम आरोपित	
			क्षेत्र (हेक्टेयर)	राशि	राशि	राशि	
उप वन संरक्षक (एस.एफ.) भीलवाड़ा	उदयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिन्डिकेट	8-57/97-FC दिनांक 12.6.1998	641.86x2 =1283.720	353.02	77.38	275.64	शास्ति वनारोपण की गणना भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार नहीं की गई
मण्डल वन अधिकारी बांसवाड़ा	क्लस्टर नम्बर 1 त्रिपुरा सुन्दरी	8-48/97-FC दिनांक 18.3.99	45.65	37.04	31.21	5.83	गणना की गलती से कम आरोपण
योग						281.47	

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये जाने पर वन मण्डल, भीलवाड़ा ने सूचित किया कि राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है जबकि वन मण्डल, बांसवाड़ा ने सूचित किया कि राशि की वसूली प्रकरण की जांच के पश्चात की जावेगी।

8.2.7.5 राजकीय राजस्व का व्यक्तिगत निक्षेप खाते में अनुचित रखाव

राजस्थान सरकार ने वर्ष 1997-98 के लिये राज्य के सभी 5 जन्तुआलयों को जन्तुआलयों में प्रवेश के टिकटों की बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग प्रयोगात्मक आधार पर आधुनिकीकरण, विकास कार्य एवं जन्तुआलय की रख-रखाव हेतु तथा पशुओं के लिये आहार खरीदने हेतु करने (9 दिसम्बर 1997) दिया जिसे वर्ष 1998-99 के लिये बढ़ा दिया गया।

इस योजना के 1998-99 के पश्चात नहीं बढ़ाने के बावजूद जन्तुआलयों ने टिकिटों की बिक्री से प्राप्त आय को व्यक्तिगत निक्षेप खाते में जमा कराना चालू रखा तथा जयपुर, जोधुपर, कोटा एवं बीकानेर के चार जन्तुआलयों के व्यक्तिगत निक्षेप खाते में (जून 2000 तक) 85.32 लाख रुपये जमा थे। इसके पश्चात जुलाई 2000 के आगे से टिकिटों की बिक्री से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराई गई। तथापि व्यक्तिगत निक्षेप खाते से जमा राशि निकालने एवं राजकीय खातों में जमा कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी बीच जयपुर जन्तुआलय ने अप्रैल 1999 से जून 2000 तक योजना की समाप्ति के पश्चात 15.35 लाख रुपये का अनियमित व्यय किया।

8.2.7.6 वन अपराधों का विलम्ब से संयोजन

एक वर्ष के अन्दर वन अपराधों का या तो संयोज्य किया जाना या न्यायालय में दावा पेश करना आवश्यक है क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय ऐसे प्रकरणों पर एक वर्ष पश्चात संज्ञान नहीं लेता है।

मापक जांच में ज्ञात हुआ कि मार्च 2000 के अन्त में 9 मण्डलों* में वन के नुकसान से संबंधित अपराधों के 1 वर्ष से 50 वर्ष तक के 7386 प्रकरण अंतिम निर्णय हेतु लंबित थे जिनमें से 276 प्रकरण न्यायालय में लंबित थे तथा 38.17 लाख रुपये के शेष 7110 प्रकरण 1 वर्ष से अधिक अवधि से विभाग में बकाया थे।

चूंकि वन विभाग अपराध होने के एक वर्ष के अन्दर न्यायालय में जा सकता है एवं इन मामलों में अभियोग निर्धारित अवधि में आरम्भ नहीं किया गया, अत: विभाग निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करने में असफल रहा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार की सूचित (मई 2001) किया गया; तथापि उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

ब. खनन विभाग

8.3 शर्तों के उल्लंघन पर शास्ति का अनारोपण

राजस्थान सरकार (खनन विभाग) ने उनके आदेश दिनांक 12 मई 1999 के द्वारा प्रावधान किया है कि यदि स्वीकृति में निर्धारित अवधि के अनुसार सीमेंट संयंत्र स्थापित नहीं किये जाते हैं तो संयंत्र लगाने की अवधि में वृद्धि राजकीय लेखों में 1 करोड़ रुपये वार्षिक जमा कराने पर की जावेगी। यह वृद्धि वार्षिक आधार पर की जावेगी।

चित्तौड़गढ़ में ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि. के पक्ष में एक लाईम स्टोन पट्टा (सीमेंट ग्रेड) मार्च 1994 में इस शर्त पर स्वीकृत हुआ कि पट्टेदार पट्टा निष्पादित होने की तिथि अर्थात 26 अप्रैल 1994, से 2 वर्ष की अवधि में 1.5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का सीमेंट संयंत्र लगायेगा। खनि अभियंता चित्तौड़गढ़ ने (सितम्बर 1998) बताया कि पट्टाधारक ने एक मिलियन टन वार्षिक क्षमता का सीमेंट संयंत्र लगाया था। सीमेंट संयंत्र इसकी पूर्ण क्षमता का नहीं लगाया गया है एवं संयंत्र

* बांसवाड़ा, बांरा (पूर्व), बांरा (पश्चिम), भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर (दक्षिण)।

अपूर्ण है तथा पट्टेदार ने समयवृद्धि के लिये कोई आवेदन नहीं किया है। अत: खनन पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण पट्टाधारक मई 1999 से अप्रैल 2001 की अवधि के लिये 2 करोड़ रुपये के भुगतान का उत्तरदायी है।

प्रकरण विभाग के ध्यान में (नवम्बर 2000) व सरकार को सूचित (मार्च 2001) किया गया; तथापि, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

8.4 अधिशुल्क एवं स्थिर भाटक की मांग कायमी न किया/कम किया जाना

खान व भूविज्ञान विभाग की हैण्ड बुक के अनुसार अधिशुल्क, स्थिर भाटक व शास्ति की मांग की प्रविष्टि, वसूली के प्रयास एवं निगरानी हेतु, मांग एवं संग्रहण पंजिका (डी सी आर) में किया जाना आवश्यक है।

चार खनिज कार्यालयों* में यह देखा गया (अप्रैल 2000 तथा जनवरी 2001 के मध्य) कि 11 मामलों में 1991-92 से जनवरी 2001 तक के मध्य की अवधि के अधिशुल्क, स्थिर भाटक एवं वार्षिक संविदा राशि से संबंधित 105.61 लाख रुपये की मांग, मांग एवं संग्रहण पंजिका में प्रविष्ट नहीं की गई। इस प्रकार विभाग मांग कायम करने में असफल रहा।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर (जून 2000 तथा जनवरी 2001 के मध्य) विभाग ने बताया (जून 2001) कि 93.91 लाख रुपये की राशि की वसूली की जा चुकी है तथा 11.70 लाख रुपये की मांग कायमी कर दी गई है एवं वसूली हेतु भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

सरकार, जिसे मामला (दिसम्बर 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य) सूचित किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जून 2001) की।

8.5 विकास शुल्क की कम वसूली

सरकार ने 1 मई 1992 से जिप्सम के प्रेषण एवं बिक्री पर विकास प्रभार की दर संशोधित कर 30 रुपये प्रति मैट्रिक टन कर दी।

* जैसलमेर, नागौर, रामगंज मण्डी तथा सीकर।

जैसलमेर में यह पाया गया (नवम्बर 2000) कि 6 नवम्बर 1997 से 5 नवम्बर 1999 तक मैसर्स फर्टीलाईजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (एफ सी आई) ने 5,87,520.56 मैट्रिक टन जिप्सम का प्रेषण किया, जिस पर विकास प्रभार के 1.76 करोड़ रुपये वसूली योग्य थे। इसमें से पट्टेदार ने मात्र 1.64 करोड़ रुपये जमा कराये। इसके परिणामस्वरूप विकास प्रभार के 12.09 लाख रुपये कम वसूल हुये।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये (दिसम्बर 2000) जाने पर विभाग ने बताया (जून 2001) कि मै. एफ सी आई ने विक्रय की गई जिप्सम पर विकास प्रभार जमा कराया था। भुगतान में अन्तर खदान क्षेत्र से प्रेषित की गई मात्रा एवं रेल्वे स्टेशन पर विक्रय की गई वास्तविक मात्रा के अन्तर के कारण है, जो कि प्रक्रिया संबंधी अनियमितता थी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विकास प्रभार खान में से निकाली गई खनिज की मात्रा पर वसूल किये जाने थे और यही अधिशुल्क निर्धारण हेतु गणना में लिया जाता है।

सरकार जिसे मामला सूचित (मार्च 2001) किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जुलाई 2001) की।

8.6 किश्तों एवं प्रतिभूति की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 34 के अन्तर्गत अधिशुल्क संग्रहण संविदा नीलामी या निविदा के द्वारा स्वीकृत की जाती है। संविदा का चयनित बोलीदाता प्रतिभूति एवं बोली राशि अग्रिम जमा करायेगा।

यदि वार्षिक बोली राशि 10,000 रुपये से अधिक परन्तु दस लाख रुपये से अधिक नहीं है तो प्रथम तिमाही किश्त के रूप में 25 प्रतिशत बोली राशि तुरन्त जमा करानी होगी। अन्य तिमाही किश्तें इकरारनामें में दी गई तिथियों पर अग्रिम जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 10 लाख रुपये से अधिक है तो यह बारह मासिक किश्तों में वसूल करनी होगी परन्तु पहली किश्त 2.50 लाख रुपये से कम नहीं होगी तथा तुरन्त जमा करानी होगी। शेष बोली राशि ग्यारह समान मासिक किश्तों में प्रति माह 10 तारीख तक अग्रिम जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो प्रतिभूति राशि बोली राशि की 25 प्रतिशत होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 10 लाख रुपये से अधिक है तो प्रतिभूति जमा 2.50 लाख रुपये या बोली राशि का 12.5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगी। ठेकेदार की किसी कमी के बिना यदि संविदा पूर्ण होती है, प्रतिभूति राशि का समायोजन अन्तिम किश्त में किया जायेगा।

भरतपुर में यह देखा गया (फरवरी 2001) कि वार्षिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा 2 मई 1998 से 1 मई 2000 की अवधि के लिये एक ठेकेदार को 34.05 लाख रुपये पर स्वीकृत (30 अप्रैल 1998) की गई थी। अधिशुल्क की दर में संशोधन हो जाने के कारण 1 अक्टूबर 1999 से संविदा राशि संशोधित कर 40.02 लाख रुपये कर दी गई। ठेकेदार को उसके विरूद्ध बकाया राशि जमा कराने हेतु एक नोटिस (13 मार्च 2000) जारी किया गया। चूंकि ठेकेदार बकाया जमा कराने में असफल रहा, विभाग में उपलब्ध प्रतिभूति 4.26 लाख रुपये जब्त कर विभाग द्वारा ठेका रद्द किया जाना था परन्तु विभाग ने प्रतिभूति राशि, बकाया के विरूद्ध समायोजित (31 मार्च 2000) कर ली । प्रतिभूति राशि को बकाया के विरूद्ध समायोजन करने की विभागीय कार्यवाही नियमानुसार नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 12.77 लाख रुपये (प्रतिभूति के 4.26 लाख रुपये तथा बकाया के 8.51 लाख रुपये) के राजस्व की हानि हुई।

एक अन्य प्रकरण में 13 जून 1998 से 12 जून 2000 की अवधि के लिये वार्षिक अधिशुल्क की अधिशुल्क संग्रहण संविदा एक ठेकेदार को 32.65 लाख रुपये प्रतिवर्ष पर स्वीकृत की गई। इसके पश्चात 1 अक्टूबर 1999 से संविदा राशि बढाकर 40.81 लाख रुपये कर दी गई। तद्नुसार ठेकेदार को प्रतिभूति की अन्तर की राशि 1.02 लाख रुपये जमा करानी थी। ठेकेदार ब्याज सहित अधिशुल्क के 5.77 लाख रुपये जमा कराने में असफल रहा। विभाग ने ठेकेदार को बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस दिया। ठेकेदार के निवेदन (मार्च 2000) पर विभाग ने 4.08 लाख रुपये की प्रतिभूति का ठेकेदार के विरुद्ध बकाया में समायोजन कर लिया। बकाया राशि 6.74 लाख रुपये जमा कराने में असफल रहने के कारण ठेका चालू रखने के बजाय ठेका रद्द एवं प्रतिभूति जब्त की जानी थी। विभाग ने ठेका रद्द (जून 2000) कर प्रतिभूति जब्त करने के आदेश दिये जो कि विभाग के पास वास्तव में उपलब्ध नहीं थी क्योंकि यह पूर्ववर्ती बकाया के विरूद्ध मार्च 2000 में समायोजित कर ली गई थीं

विभाग की गलत कार्यवाही के फलस्वरूप 10.83 लाख रुपये के बकाया की वसूली नहीं होने के अतिरिक्त 5.10 लाख रुपये की हानि हुई।

उपरोक्त प्रकरण विभाग के ध्यान में (फरवरी 2001) लाया गया एवं सरकार को सूचित (अप्रैल 2001) किया गया; तथापि उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

8.7 खदान अनुज्ञापत्रों का पंजीयन नहीं होने के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की हानि

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक की कोई भी अवधि के लिए अचल सम्पत्ति के पट्टों का पंजीयन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार ने उनके परिपत्र दिनांक 24 नवम्बर 1993 में स्पष्ट किया कि खदान अनुज्ञापत्रों, पट्टों के निष्पादन तथा उसके नवीनीकरण पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क आरोपण योग्य है।

चित्तौड़गढ़ में यह देखा गया (अगस्त 2000) कि वर्ष 1999-2000 में जारी/नवीनीकृत 1131 खदान अनुज्ञापत्र पंजीकृत नहीं कराये गये थे। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर (5.15 लाख रुपये) एवं पंजीयन शुल्क (0.52 लाख रुपये) के 5.67 लाख रुपये की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर (अगस्त 2000) विभाग ने बताया (मई 2001) कि दस्तावेजों के पंजीकरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

प्रकरण सरकार को (मार्च 2001) सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2001)।

8.8 अधिक समायोजन

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत खनिज पट्टेधारक प्रत्येक वर्ष स्थिर भाटक, ऐसी दर पर जो निर्धारित की गई हो, हर छमाही अग्रिम रूप से सरकार को जमा करायेगा। खान एवं भूविज्ञान विभाग की हैण्डबुक के अनुसार पट्टा, अनुज्ञापत्र, संविदा, स्थिर भाटक, अधिशुल्क, शास्ति एवं ब्याज आदि से संबंधित समस्त सरकारी बकाया के निर्धारणों का इन्द्राज इसकी निगरानी रखने हेतु एवं मांगों की वसूली को सुगम बनाने हेतु मांग एवं संग्रहण पंजिका (डी सी आर) में करना होगा।

(अ) उदयपुर में यह देखा गया (दिसम्बर 2000) कि मैसर्स जे.के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड के मामले में वर्ष 1989-90 से 1992-93 अवधि की 4.23 लाख रुपये की स्थिर भाटक की मांग दो बार मांग एवं संग्रहण पंजिका में कायम (अक्टूबर 1999) कर दी गयी। इसका समायोजन करते समय निर्धारण अधिकारी ने वर्ष 1993-94 से 1998-99 अवधि के स्थिर भाटक में 4.23 लाख रुपये के स्थान पर 6.76 लाख रुपये का त्रुटिपूर्ण समायोजन (अप्रैल 2000) किया। इसके परिणामस्वरूप 2.53 लाख रुपये का अधिक समायोजन हुआ।

चूक विभाग के ध्यान में (दिसम्बर 2000) लायी गई एवं सरकार को सूचित (मार्च 2001) किया गया। सरकार ने बताया (जून 2001) कि 2.53 लाख रुपये का समायोजन पट्टेधारक की अग्रिम जमा में से कर लिया गया है।

(ब) जैसलमेर में देखा गया (नवम्बर 2000) कि खनिज पट्टे के एक खाते में 7.17 लाख रुपये, मांग एवं संग्रहण पंजिका में अग्रिम जमा थे जबकि नयी मांग एवं संग्रहण पंजिका में, अंतिम शेष को अग्रेषित करते समय 7.17 लाख रुपये के स्थान पर 8.59 लाख रुपये का त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किया गया। इसके परिणामस्वरूप पट्टेदार के 1.42 लाख रुपये अधिक जमा हुये।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये (नवम्बर 2000) जाने पर विभाग ने बताया कि मांग एवं संग्रहण पंजिका में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

सरकार, जिसे मामला सूचित (मार्च 2001) किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जून 2001) की।

(स) सीकर में यह देखा गया (फरवरी 2000) कि एक ठेकेदार के मामले में, जिसे अधिशुल्क संग्रहण संविदा स्वीकृत की गई, 18 अप्रैल 1999 से 17 मई 1999 तक की 1.68 लाख रुपये की मासिक किश्त की मांग न तो कायम की गई और न हीं 20 मई 1999 को ठेका रद्द करने के पश्चात भी वसूली की गई। यह भी देखा गया कि ठेकेदार द्वारा 30 जनवरी 1999 को 10,000 रुपये जमा कराये गये थे जबकि उसके खाते में 1.10 लाख रुपये जमा किये गये। परिणामस्वरूप एक लाख रुपये अधिक जमा तथा 1.68 लाख रुपये संविदा राशि की मासिक किश्त की अवसूली से कुल राशि 2.68 लाख रुपये हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये (मार्च 2000) जाने पर विभाग ने बताया कि 1.68 लाख रुपये की मांग कायमी कर दी गई है तथा एक लाख रुपये के अधिक जमा की प्रविष्टि सही कर दी है। बकाया की वसूली हेतु भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रयास किये जा रहे है (अगस्त 2001)।

सरकार, जिसे मामला सूचित (अप्रैल 2001) किया गया था, ने विभाग के उत्तर की पुष्टि (जुलाई 2001) की।

स. सिंचाई विभाग

8.9 जल प्रभार का कम आरोपण

राजस्थान सिंचाई एवं निकास नियम, 1955 के नियम 15, एवं परिशिष्ट-I के मद 5(अ) के अनुसार औद्योगिक उपयोग हेतु जल प्रभार की दर 1 रुपया प्रति हजार क्यूबिक फीट एवं 28 नवम्बर 1991 से 20 रुपये प्रति हजार क्यूबिक फीट थी।

सिंचित क्षेत्र विकास (सी ए डी), कोटा ने (अगस्त 1987) मैसर्स केशोरायपाटन सहकारी मिल्स लिमिटेड, केशोरायपाटन के साथ चम्बल परियोजना कोटा के पाटन जल मार्ग से औद्योगिक उपयोग हेतु 1 क्यूसेक तक पानी के वितरण का एक रुपये प्रति हजार क्यूबिक फीट की दर से 20 वर्षीय समझौता किया।

समझौते की शर्त संख्या 3 के अनुसार चीनी मिल को एक माप संयंत्र जो कि औद्योगिक इकाई द्वारा इसकी पाटन बांध जल मार्ग के अलग होने के बिन्दु पर स्थापित करना था, की माप के आधार पर वास्तव में लिए गये पानी के जल प्रभार का भुगतान मासिक आधार पर समय समय पर निर्धारित दरों पर करना था। माप संयंत्र के काम नहीं करने की स्थिति में उक्त जल मार्ग से संबद्ध पम्पिंग सेट की अधिकतम क्षमता के आधार पर जल वितरण का जल प्रभार बिल कायम करने पर सहमति हुई थी। जल वितरण के माप हेतु विभाग द्वारा एक माप पुस्तिका का भी संधारण किया जाना था।

रखरखाव एवं अन्य कारणों से नहर के बन्द रहने के अतिरिक्त जल वितरण वर्ष भर बराबर रहा। यह भी सहमति हुई कि कारखाने के जल मार्ग को कारखाने पर अलग होने के बिन्दु पर बन्द (16 मई से 14 नवम्बर तक) एवं सील करना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया (अप्रैल 2000) कि न तो कारखाने द्वारा माप संयंत्र स्थापित किया गया था और न हीं सी ए डी चम्बल, कोटा प्राधिकारियों द्वारा कोई माप पुस्तिका संधारित की गई थी। माप संयंत्र न होने के कारण उक्त जल मार्ग से संबद्ध पंम्पिंग सेट की अधिकतम क्षमता के आधार पर तथा प्रतिवर्ष कारखाने के चालू रहने की अवधि से नहर बन्द रहने की अवधि को कम करके शेष रही अवधि के आधार पर जल की मात्रा की गणना करनी थी। तथापि जल की मात्रा का निर्धारण प्रति वर्ष की गई वास्तविक गन्ना पिराई की अवधि के आधार पर किया गया। विभाग द्वारा वर्ष में की गई वास्तविक गन्ना पिराई की अवधि के आधार पर जल उपभोग के बिल कायम करना उचित नहीं था तथा इसके परिणामस्वरूप 1987-88 से 1999-2000 की अवधि में 17.52 लाख रुपये के जल प्रभार का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को सूचित (मई 2000) किया गया; तथापि उनका उत्तर प्राप्त (अगस्त 2001) नहीं हुआ।

जयपुर
दिनांक 18 DEC 2001

(सुनील चन्द्र)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) II, राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 26 DEC 2001

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-ब

विभागों से बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की स्थिति:

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन
1.	20 वां प्रतिवेदन 1990-91	24.3.91	मुद्रांक एवं पंजीयन	1978-79	4
2.	23 वां प्रतिवेदन 1990-91	25.3.91	आबकारी	1984-85 से 1987-88	5
3.	40 वां प्रतिवेदन 1991-92	18.9.91	उद्योग	1977-78	1
4.	41 वां प्रतिवेदन 1991-92	18.9.91	लॉटरी	1983-84	1
5.	45 वां प्रतिवेदन 1991-92	18.9.91	खान	1977-78 से 1983-84	4
6.	57 वां प्रतिवेदन 1991-92	23.3.92	मोटर गेराज	1977-78	1
7.	56 वां प्रतिवेदन 1991-92	23.3.92	भू-राजस्व	1977-78 से 1980-81	19
8.	60 वां प्रतिवेदन 1991-92	23.3.92	मुद्रांक एवं पंजीयन	1979-80 से 1983-84	2
9.	61 वां प्रतिवेदन 1991-92	23.3.92	भू-राजस्व	1983-84	1
10.	62 वां प्रतिवेदन 1991-92	30.3.92	मुद्रांक एवं पंजीयन	1977-78 से 1978-79	3
11	63 वां प्रतिवेदन 1991-92	30.3.92	आबकारी	1976-77 से 1983-84	15
12.	10 वां प्रतिवेदन 1994-95	27.9.94	मुद्रांक एवं पंजीयन	1984-85 से 1987-88	9
13.	15 वां प्रतिवेदन 1994-95	27.9.94	भू-राजस्व	1976-77	8
14.	34 वां प्रतिवेदन 1995-96	20.4.95	मुद्रांक एवं पंजीयन	1988-89 से 1989-90	3
15.	35 वां प्रतिवेदन 1995-96	20.4.95	भू-राजस्व	1982-83	1
16.	36 वां प्रतिवेदन 1995-96	20.4.95	खान	1990-91	2
17.	75 वां प्रतिवेदन 1996-97	12.7.96	खान	1984-85 से 1989-90	8
18.	102 वां प्रतिवेदन 1997-98	16.3.98	सहकारिता	1984-85	2
19.	103 वां प्रतिवेदन 1997-98	16.3.98	भू-राजस्व	1984-85 से 1988-89	5
20.	119 वां प्रतिवेदन 1998-99	27.7.98	परिवहन	1994-95 से 1995-96	62
21.	120 वां प्रतिवेदन 1998-99	27.7.98	भू-राजस्व	1989-90	10
22.	31 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1991-92	5
23.	32 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1992-93	1
24.	34 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1994-95	1
25.	35 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1995-96	2
26.	36 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1996-97	1
27.	37 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	भू-राजस्व	1991-92	10
28.	38 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	भू-राजस्व	1992-93	5
29.	39 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1988-89	1
30.	41 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1990-91	1
31.	42 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1991-92	1
32.	44 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1993-94	4
33.	93 वां प्रतिवेदन 2001-2002	-	परिवहन	1997-98	2
	योग				**200**